[2022] 2 एस. सी. आर 212

एम/एस समेकित निर्माण संगठन

सीमित

वी.

मेसर्स हीरो एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

(2020 की सिविल अपील संख्या 2839)

फरवरी 04,2022

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सूर्या कांत

और विक्रम नाथ, जे. जे.]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016: एसएस। 5 (20) , 5 (21) , 8 (1)

परिचालन लेनदार-जिसका अर्थ है-अपीलार्थी द्वारा नियुक्त किया गया था

एक परियोजना के लिए सी. एम. आर. एल.-उक्त परियोजना के लिए, अपीलार्थी ने स्वामित्व संबंधी चिंता (पी. सी.) के साथ प्रकाश फिटिंग की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध किया।

- अपीलार्थी की ओर से सी. एम. आर. एल. ने पी. सी. को 50 लाख रुपये का भुगतान किया।

एक अग्रिम-हालांकि, सीएमआरएल ने अपीलकर्ता के साथ अपनी परियोजना को समाप्त कर दिया-समाप्ति की सूचना पी. सी. को दी गई थी, हालांकि पी. सी. ने 50 लाख रुपये के चेक को भुनाया-अपीलकर्ता

सी. एम. आर. एल. को 50 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया और पी. सी. से भुगतान करने का अनुरोध किया-इस बीच, प्रतिवादी को शामिल किया गया और उसने पी. सी. को अपने नियंत्रण में ले लिया-अपीलार्थी ने एस. के तहत मांग नोटिस भेजा। 8 प्रत्यर्थी को आई. बी. सी.-प्रत्यर्थी ने इस बात से इनकार किया कि किसी भी ऋण का बकाया था

अपीलार्थी को-अपीलार्थी ने आवेदन यू/दायर किया आई. बी. सी. आर/डब्ल्यू. आर. का एस. 9। 6 आई. बी. सी. नियम 2016 जिसे एन. सी. एल. टी. और अंतरिम द्वारा स्वीकार किया गया था

समाधान पेशेवर नियुक्त-एन. सी. एल. ए. टी. ने एन. सी. एल. टी. के फैसले को दरकिनार कर दिया और अपीलार्थी के आवेदन को खारिज कर दिया-अपील पर,

प्रचालन संबंधी लेन-देन अर्थात माल या सेवाओं से संबंधित लेन-देन जो प्रचालन संबंधी कार्य के लिए आवश्यक माने जाते हैं। एक इकाई - धारा 5 (21) 'परिचालन ऋण' को वस्तुओं या सेवाओं के प्रावधान के संबंध में दावे के रूप में परिभाषित करता है-परिचालन आवश्यकता यह है कि दावे का माल या सेवाओं के प्रावधान के साथ कुछ संबंध होना चाहिए।

सेवाएँ, यह निर्दिष्ट किए बिना कि कौन आपूर्तिकर्ता या प्राप्तकर्ता होना है - एस. 8 (1) आईबीसी आर/डब्ल्यू आर। 5 (1) और 2016 के आवेदन नियमों के फॉर्म 3 से यह स्पष्ट होता है कि एक परिचालन लेनदार कर सकता है

एक मांग सूचना या एक चालान के माध्यम से एक परिचालन ऋण के संबंध में एक नोटिस जारी करें-एक चालान की उपस्थिति एक आदेश नहीं है।

अनिवार्य रूप से नहीं, क्योंकि एक मांग नोटिस भी जारी किया जा सकता है ऋण के अस्तित्व को साबित करने वाले अन्य दस्तावेजों का आधार-एक ऐसा ऋण जो किसी निगम को किए गए अग्रिम भुगतान से उत्पन्न होता है।

वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के लिए देनदार को एक परिचालन ऋण माना जाएगा-अपीलकर्ता ने पी. सी. से एक परिचालन सेवा की मांग की थी जब उसने लाइट फिटिंग की आपूर्ति के लिए उनके साथ अनुबंध किया था-पी. सी. द्वारा चेक का एनचैशमेंट, भले ही अनुबंध था

समाप्त, अपीलार्थी के पक्ष में एक परिचालन ऋण को जन्म दिया

इसलिए, अपीलार्थी एस के तहत एक परिचालन लेनदार है। 5 (20) में से

आई. बी. सी.

कंपनी अधिनियम, 2013: एसोसिएशन का ज्ञापन (एम. ओ. ए.)

का प्रमाणिक मूल्य-एक कंपनी का एम. ओ. ए. उसका चार्टर है और

जिस उद्देश्य के लिए कंपनी बनाई गई है, उसे रेखांकित करता है-तत्काल मामले में, प्रतिवादी का एम. ओ. ए. स्पष्ट रूप से कहता है कि इसका एक मुख्य उद्देश्य स्वामित्व संबंधी चिंता (पी. सी.) को संभालना है। हालाँकि, प्रत्यर्थी ने कथित रूप से पी. सी. को नहीं लेने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 में एम. ओ. ए. में संशोधन की प्रक्रिया प्रदान की गई है - एक उद्देश्य खंड में संशोधन करते हुए, इसके लिए पंजीयक को कंपनी द्वारा दायर विशेष प्रस्ताव को पंजीकृत करने की आवश्यकता होती है-हालांकि, प्रतिवादी ने कंपनी के उपरोक्त संशोधन एम. ओ. ए. के लिए कोई सबूत नहीं दिया।

उत्तरदाता अभी भी खड़ा है।

सीमा अधिनियम, 1963: आई. बी. सी. अनुप्रयोग की रखरखाव क्षमता

सीमा तब शुरू नहीं होती है जब ऋण देय हो जाता है, लेकिन केवल तभी जब एक चूक होती है तो डिफ़ॉल्ट को एस के तहत परिभाषित किया जाता है। 3 (12) कॉरपोरेट देनदार द्वारा ऋण का भुगतान न करने के रूप में आई. बी. सी. का भुगतान-सी. एम. आर. एल. ने खरीद के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में 7 नवंबर 2013 को एक प्रोपराइटरी कंसर्न (पी. सी.) को 50 लाख रुपये का चेक जारी किया-अनुबंध की समाप्ति के बाद,

अपीलार्थी और पी. सी. के बीच पत्राचार हुआ।

-

पी. सी. से भुगतान की मांग करने वाला अंतिम पत्र 27 फरवरी 2017 को संबोधित किया गया था जिसे अपीलार्थी ने 2 मार्च 2017 को अस्वीकार कर दिया था।

1 नवंबर 2017 को, अपीलार्थी ने यू / एस. 9 का

आई. बी. सी. जो डिफ़ॉल्ट से तीन साल के भीतर है-इसलिए, आवेदन यू / आई. बी. सी. की धारा 9 सीमा दिवाला द्वारा वर्जित नहीं है और दिवालियापन संहिता, 2016 - एस. 9.

22] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. 2016 के आवेदन नियमों के नियम 5 (1) और प्रपत्र 3 के साथ पठित आई. बी. सी. की धारा 8 (1) इसे बहुत स्पष्ट करती है।

कि एक परिचालन लेनदार या तो मांग सूचना या चालान के माध्यम से एक परिचालन ऋण के संबंध में एक सूचना जारी कर सकता है। इस प्रकार, एक चालान की उपस्थिति (आपूर्ति की गई वस्तुओं या सेवाओं के लिए) अनिवार्य नहीं है, क्योंकि एक मांग सूचना अन्य दस्तावेजों के आधार पर भी जारी की जा सकती है जो साबित करते हैं कि

ऋण का अस्तित्व। सी. आई. आर. पी. विनियम 2016 के विनियम 7 (2) (बी) (आई) और (आई) द्वारा यह और भी स्पष्ट किया गया है, जो एक परिचालन लेनदार प्रदान करता है, जो किसी वित्तीय स्थिति में परिचालन ऋण का दावा करना चाहता है।

सी. आई. आर. पी., कॉर्पोरेट देनदार या चालान के साथ वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए अनुबंध पर भरोसा करने के बीच एक विकल्प है।

निगमित देनदार को आपूर्ति की गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान की मांग करना। इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक ऋण जो एक कॉर्पोरेट ऋण या वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के लिए किए गए अग्रिम भुगतान से उत्पन्न होता है, उसे एक परिचालन ऋण माना जाएगा। ऋण। इसी तरह, वर्तमान मामले में, धारा 5 (21) में "के संबंध में" वाक्यांश की व्याख्या व्यापक और उद्देश्यपूर्ण तरीके से की जानी चाहिए ताकि उन सभी को शामिल किया जा सके जो प्रदान करते हैं या प्राप्त करते हैं।

निगमित देनदार से परिचालन सेवाएँ, जो अंततः एक परिचालन ऋण की ओर ले जाती हैं। वर्तमान मामले में, अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से प्रोपराइटरी कंसर्न से एक परिचालन सेवा की मांग की जब उसने प्रकाश फिटिंग की आपूर्ति के लिए उनके साथ अनुबंध किया। इसके अलावा,

जब अनुबंध समाप्त कर दिया गया था, लेकिन प्रोपराइटरी कंसर्न ने फिर भी अग्रिम भुगतान के लिए चेक को भुनाया, तो इसने अपीलार्थी के पक्ष में एक परिचालन ऋण को जन्म दिया, जो अब भुगतान नहीं किया गया है। अतः, अपीलार्थी एक परिचालन लेनदार है। आईबीसी की धारा 5 (20) के तहत। [पैरा 43,45] [245-एफ-एच; 246-डी; 247-सी-ई]

2.1 यह निर्विवाद है कि अपीलार्थी ने एक

स्वामित्व संबंधी संस्था के साथ अनुबंध किया और जारी रखा अंत तक उनके साथ संचार, अंत में प्रतिवादी को आई. बी. सी. की धारा 8 (1) के तहत अपना नोटिस भेजना। द.

विवाद प्रतिवादी के एम. ओ. ए. के इर्द-गिर्द घूमता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 4 एक एम. ओ. ए. को परिभाषित करती है। धारा 4 (1) प्रासंगिक जानकारी प्रदान करती है जो एक एम. ओ. ए. प्रदान करेगी, जो

उपखंड (ग) में यह शामिल है कि इसमें एम/एस कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्टियम लिमिटेड के उद्देश्यों का उल्लेख होना चाहिए।

वी. मेसर्स हीरो एनर्जी सॉल्यूशंस पी. वी. टी. लिमिटेड।

जिसके लिए कंपनी को निगमित करने का प्रस्ताव है और कोई भी मामला जिसे इसे आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक माना जाता है। धारा 13 एम. ओ. ए. में परिवर्तन के लिए आवश्यकताओं का प्रावधान करती है। [पैरा 47,49,52] [247-जी; 248-सी-डी; 249-जी] 2.2 वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी का एम. ओ. ए. स्पष्ट रूप से कहता है कि इसका एक मुख्य उद्देश्य स्वामित्व संबंधी चिंता को संभालना है। हालाँकि, प्रत्यर्थी ने 1 सितंबर 2014 को अपने निदेशक मंडल द्वारा पारित एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें कथित रूप से स्वामित्व संबंधी चिंता को नहीं लेने का संकल्प लिया गया है। किसी भी मामले में, सी. ए. 2013 की धारा 13 उस प्रक्रिया का प्रावधान करती है जिसका पालन एम. ओ. ए. में संशोधन करने के लिए किया जाना चाहिए। जिन मामलों में उद्देश्य खंड में संशोधन किया जाता है, वहां पंजीयक द्वारा दायर विशेष प्रस्ताव को पंजीकृत करने की आवश्यकता होती है।

आई. बी. सी. की धारा 9 बनाए रखने योग्य थी। [पैरा 53,55,56] [250-डी; 251-डी-एफ] 3. सीमा के सवाल के संबंध में, सीएमआरएल ने 7 को प्रोपराइटरी कंसर्न को रुपये 50,00,000 का चेक जारी किया।

नवंबर 2013। हालाँकि, उस समय, यह अपीलार्थी के खरीद आदेश के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में जारी किया गया था। केवल 2 जनवरी 2014 को सीएमआरएल ने अपीलार्थी के साथ अपनी परियोजना को समाप्त कर दिया, और इसके बाद ही प्रोपराइटरी कंसर्न ने चेक को भुनाया। इसके बाद, पत्राचार था

राशि के पुनः भुगतान के संबंध में जुलाई 2016 में अपीलार्थी और प्रोपराइटरी कंसर्न के बीच आदान-प्रदान किया गया। इसके बाद 4 अगस्त 2016 को एक संयुक्त बैठक भी आयोजित की गई। इस समय तक, दोनों पक्ष पुनः भुगतान के संबंध में बातचीत कर रहे थे और बैठक के कार्यवृत्त से पता चलता है कि [2022] 2 एस. सी. आर.

यदि सीएमआरएल एक पत्र जारी करता है जिसमें कहा गया है कि वे भविष्य में दावा नहीं करेंगे या यदि अपीलकर्ता राशि के लिए बैंक गारंटी प्रदान करता है तो प्रोपराइटरी कंसर्न पुनः भुगतान करने के लिए तैयार था। अपीलार्थी द्वारा 27 फरवरी 2017 को प्रोपराइटरी कंसर्न को एक अंतिम पत्र भेजा गया था, जिसमें 4 मार्च 2017 को या उससे पहले भुगतान की मांग की गई थी। प्रोपराइटरी कंसर्न ने 2 मार्च 2017 को इस पत्र का जवाब दिया, आखिरकार ऐसा करने से इनकार कर दिया।

अपीलार्थी को पुनः भुगतान। नतीजतन, आवेदन के तहत

धारा 9 को सीमा द्वारा वर्जित नहीं किया जाएगा। [पैरा 60,61] [252-एफ-जी; 253-ए-बी]

बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज (पी) लिमिटेड बनाम पराग गुप्ता और

एसोसिएट्स (2019) 11 एससीसी 633: [2018] 12 एससीआर 794 -

पर भरोसा किया।

पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड v. संघ भारत (2019) 8 एस. सी. सी. 416: [2019] 10 एस. सी. आर. 381; इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। आईसीआईसीआई बैंक (2018) 1 एससीसी 407: [2017] 8 एस. सी. आर. 33; मोबिलॉक्स इनोवेशन्स (पी) लिमिटेड v. किरासा सॉफ्टवेयर (पी) लिमिटेड (2018) 1 एस. सी. सी. 353: [2017] 10 एससीआर 1006; फीनिक्स एआरसी (पी) लिमिटेड बनाम। स्पेड फाइनेंशियल

सर्विसेज लिमिटेड (2021) 3 एस. सी. सी. 475-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2019] 10 एससीआर 381

पैरा 34

संदर्भित किया गया है

[2017] 8 एससीआर 33

संदर्भित किया गया है

पैरा 35

[2017] 10 एससीआर 1006

संदर्भित किया गया है

पैरा 36

(2021) 3 एससीसी 475

संदर्भित किया गया है

पैरा 44

[2018] 12 एससीआर 794

उस पर भरोसा करें

पैरा 58

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 2839

2020 से।

राष्ट्रीय संविधान के 12.12.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली ने 2019 की कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) संख्या 19 में कहा।

एम. पी. पार्थिबन, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए। के. परमेश्वर, सुश्री ए. श्रीगुरुप्रिया, प्रसाद हेगड़े, अधिवक्ता। के लिए

उत्तरदाता।

मेसर्स कन्सोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्टियम लिमिटेड। वी. मेसर्स हीरो एनर्जी सॉल्यूशंस पी. वी. टी. लिमिटेड।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

इस निर्णय को विश्लेषण की सुविधा के लिए निम्नलिखित धाराओं में विभाजित किया गया हैः

ए द अपील

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

बी. सी.

वकीलों की दलीलें

...

क्या अपीलार्थी एक परिचालन लेनदार है डी. 1 सांविधिक प्रावधान

डी. 2 विधायी इतिहास

डी. 3 न्यायिक पूर्ववर्ती

डी. 4 विश्लेषण

प्रत्यर्थी के एम. ओ. ए. का साक्ष्य मूल्य

ई.

क्या धारा 9 के तहत आवेदन द्वारा वर्जित है

एफ.

सीमा

निष्कर्ष

जी.

ए द अपील

1. दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 1 की धारा 62 के तहत वर्तमान अपील 12 तारीख के एक फैसले और आदेश से उत्पन्न होती है।

2. 6 दिसंबर 2018 के अपने फैसले और आदेश द्वारा, एन. सी. एल. टी. ने अपीलार्थी, समेकित निर्माण द्वारा दायर एक आवेदन को स्वीकार किया। कंसोर्टियम लिमिटेड ', आई. बी. सी. की धारा 9 के तहत

1 " आईबीसी "

2 " NCLAT "

4 सीपी/708/(आईबी)/सीबी/2017 5 " अपीलार्थी "/" परिचालन लेनदार "[2022] 2 एस. सी. आर.

इसके विपरीत साक्ष्य ने साबित किया कि इसने एक स्वामित्व वाली संस्था, हिट्रो एनर्जी सॉल्यूशंस को अपने नियंत्रण में ले लिया और यह कि स्वामित्व संबंधी संस्था ने अपीलार्थी को एक बकाया परिचालन ऋण दिया था। इसके अलावा, एन. सी. एल. टी. ने घोषणा की कि आई. बी. सी. की धारा 14 के तहत स्थगन और एक अंतरिम समाधान पेशेवर को नियुक्त किया गया।

3. अपील 1 1 में, एन. सी. एल. ए. टी. ने एन. सी. एल. टी. के फैसले को खारिज कर दिया,

आई. बी. सी. की धारा 9 के तहत अपीलार्थी के आवेदन को खारिज कर दिया और प्रतिवादी को चल रहे सी. आई. आर. पी. से रिहा कर दिया। इसके समर्थन में

इसके निष्कर्षों में कहा गया हैः (i) अपीलकर्ता एक 'खरीदार' था, और इस प्रकार आई. बी. सी. के तहत 'परिचालन लेनदार' की परिभाषा के तहत नहीं आया था।

इसने प्रोपराइटरी कंसर्न/प्रत्यर्थी को किसी भी वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति नहीं की; (ii) यह सुझाव देने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि प्रत्यर्थी ने प्रोपराइटरी कंसर्न को अपने हाथ में ले लिया है; और (iii) किसी भी मामले में, अपीलकर्ता आई. बी. सी. की धारा 7 या 9 के तहत आवेदन दायर नहीं कर सकता है क्योंकि सभी 24 जून 2013 को खरीद आदेश जारी किए गए और बाद में अग्रिम चेक जारी किए गए।

4. 18 नवंबर 2020 के अपने आदेश द्वारा नोटिस जारी करते हुए, इस अदालत ने एन. सी. एल. ए. टी. के फैसले और 12 तारीख के आदेश के संचालन पर रोक लगा दी।

दिसंबर 2019। वर्तमान अपील में अब इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित मुद्दे उठते हैंः

((i)

क्या अपीलार्थी के तहत एक परिचालन लेनदार है आई. बी. सी. भले ही वह एक 'खरीदार' था;

((ख)

क्या प्रत्यर्थी ने ऋण ले लिया है स्वामित्व संबंधी चिंता; और

(iii)

क्या आई. बी. सी. की धारा 9 के तहत आवेदन वर्जित है

सीमा से।

6 " सीआईआरपी " 7 " प्रत्यर्थी "/" कॉर्पोरेट देनदार "8" एम. ओ. ए ".

चिंता "

9 " स्वामित्व

10 " आई. आर. पी "

11 2019 की कंपनी अपील (ए. टी.) संख्या 19 मेसर्स कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्टियम लिमिटेड। वी. मेसर्स हीरो एनर्जी सॉल्यूशंस पी. वी. टी. लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

बी तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

5. अपील की उत्पत्ति एक परियोजना से होती है जिसे चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड के साथ अपीलार्थी द्वारा निष्पादित किया जा रहा था, जिसके दौरान अपीलार्थी ने प्रकाश फिटिंग की आपूर्ति के लिए एक आदेश दिया। बदले में, अपीलार्थी ने प्रोपराइटरी कंसर्न के साथ आदेश दिए, जो

24 जून 2013 को तीन खरीद आदेशों के माध्यम से थॉर्न लाइटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का आपूर्तिकर्ता था। इन खरीद आदेशों में यह उल्लेख किया गया था कि प्रकाश फिटिंग की डिलीवरी सख्ती से अपीलार्थी द्वारा प्रदान की गई अनुसूची के अनुसार होगी।

6. प्रोपराइटरी कंसर्न ने अपीलार्थी से रुपये 50,00,000 के अग्रिम भुगतान के लिए अनुरोध किया। सीएमआरएल ने रुपये 50,00,000 का चेक जारी किया

प्रत्यर्थी के पक्ष में, इस शर्त के साथ कि प्रकाश फिटिंग की डिलीवरी अपीलार्थी द्वारा प्रदान की गई अनुसूची के अनुपालन में होनी चाहिए।

7. 2 जनवरी 2014 को, सी. एम. आर. एल. ने अपीलार्थी को सूचित किया कि जिस परियोजना पर वे काम कर रहे थे, वह समाप्त हो गई है। अपीलार्थी के अनुसार, यह जानकारी उसी दिन प्रोपराइटरी कंसर्न को दी गई थी। हालांकि, प्रतिवादी ने इससे इनकार किया है। 8. इसके बाद, प्रोपराइटरी कंसर्न ने सीएमआरएल द्वारा जारी चेक जमा किया और रुपये 50,00,000 की राशि निकाल ली। परियोजना के बाद से

सी. एम. आर. एल. ने अपीलार्थी को सूचित किया कि यह राशि उसे देय देय राशि में से तब तक काट ली जाएगी जब तक कि यह राशि समाप्त नहीं हो जाती।

लौट आए। अपीलार्थी ने सीएमआरएल को रुपये 50,00,000 की राशि का भुगतान किया और प्रोपराइटरी कंसर्न को इसकी सूचना दी और उनसे भुगतान करने का अनुरोध किया। 9. अंतरिम में, प्रतिवादी को 24 जनवरी 2014 के एक एम. ओ. ए. के आधार पर 28 जनवरी 2014 को शामिल किया गया था। एम. ओ. ए. के तहत,

प्रत्यर्थी के चार मुख्य उद्देश्यों में से एक स्वामित्व संबंधी चिंता को संभालना था। वह इस प्रकार हैः

" ((क) कंपनी के मुख्य उद्देश्य अपने निगम पर कंपनी द्वारा उद्देश्यितः

[.....]

4. मौजूदा स्वामित्व फर्म विज़ का अधिग्रहण करना। एम/एस। हिटरो

एनर्जी सॉल्यूशंस का पंजीकृत कार्यालय चेन्नई में है।

10. 23 जुलाई 2016 के अपने पत्र के माध्यम से, अपीलार्थी ने प्रोपराइटरी कंसर्न से रुपये 50,00,000 की राशि वापस करने का अनुरोध किया क्योंकि

अनुबंध समाप्त कर दिया गया था और राशि अपीलार्थी द्वारा सी. एम. आर. एल. को वापस कर दी गई थी। इसने नोट किया कि एक बार प्रोपराइटरी कंसर्न द्वारा राशि जारी किए जाने के बाद, यह उन्हें सीएमआरएल से भविष्य के किसी भी दावे के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा। पत्र इस प्रकार हैः

" यह खरीद आदेश संख्या के संदर्भ में है। केएच 000115, केएच 000116, केएच 000117, दिनांक 24.06.2013 हमारी सीएमआरएल परियोजना के लिए प्रकाश फिटिंग की आपूर्ति के लिए। रुपये की अग्रिम राशि। 50.00 आपको दिए गए लाखों सीधे हमारे ग्राहक द्वारा जारी किए गए थे, हमारे अनुरोध पर सीएमआरएल और राशि पहले ही आपके खाते में डेबिट हो चुकी है हालाँकि, सीएमआरएल के साथ अनुबंध हमारे द्वारा समाप्त कर दिया गया था और यह

आपको उपरोक्त खरीद आदेशों के तहत ऑर्डर की गई आपूर्ति या सामग्री के साथ आगे नहीं बढ़ने के लिए सूचित किया गया था। इसलिए हम आपसे मेसर्स को Rs.50,00,000/- की अग्रिम राशि का भुगतान करने का अनुरोध करते हैं। थोम

लाइटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जैसा कि आप सहमत हैं।

हम एक बार फिर यह बताना चाहते हैं कि आपके द्वारा भुगतान की गई राशि

सी. एम. आर. एल. पहले ही हमारे भुगतानों से वसूल कर लिया गया है और

इसलिए, हम आश्वस्त करते हैं कि इस संबंध में आप पर कोई दायित्व नहीं डाला जाएगा। मेसर्स को उपरोक्त भुगतान जारी होने पर। थॉम लाइट/रिग इंड/ए प्राइवेट लिमिटेड जैसा कि आप सहमत हैं, सी. सी. सी. एल. आपको अग्रिमों के लिए सी. एम. आर. एल. के किसी भी दावे के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा।

सीधे आपको भुगतान किया। "

11. 25 जुलाई 2016 के अपने जवाब में, प्रोपराइटरी कंसर्न ने कहा कि अगर उस पर जोर दिया जाता है तो वह सीधे सीएमआरएल को राशि वापस कर देगा।

उनके द्वारा। इसने आगे उल्लेख किया कि आज तक उसे अपीलार्थी से कोई पत्र नहीं मिला है जिसमें उन्हें सूचित किया गया है कि अनुबंध को समाप्त कर दिया गया है।

सीएमआरएल, और यह कि यह राशि वापस करने के लिए कभी सहमत नहीं हुआ था। पत्र में टिप्पणियाँः

" इसमें आपके पत्र का संदर्भ है। 23 जुलाई 2016 में आप हमसे Rs.50,00,000/- की राशि का भुगतान करने के लिए कह रहे हैं जो हमारे पास थी।

चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (सीएमआरएल) से एम/S.Thorn लाइटिंग इंडिया प्राइवेट को प्राप्त किया गया। लि. चूंकि यह राशि हमें सीधे सी. एम. आर. एल. से प्राप्त हुई है, इसलिए उक्त राशि केवल उन्हें वापस की जाएगी।

सी. एम. आर. एल. अगर वे ऐसा ही दावा करते हैं।

मेसर्स कन्सोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्टियम लिमिटेड। वी. मेसर्स हीरो एनर्जी सॉल्यूशंस पी. वी. टी. लिमिटेड। [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे।]

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि हमें आज तक आपके संगठन से कोई पत्र नहीं मिला है जिसमें उल्लेख किया गया है कि सीएमआरएल के साथ अनुबंध रद्द कर दिया गया है और इस पर कभी सहमति नहीं बनी है।

किसी भी समय एम/को राशि देने के लिए s.Thron प्रकाश व्यवस्था

इंडिया प्रा. लिमिटेड "।

12. 4 अगस्त 2016 को अपीलार्थी, प्रोपराइटरी कंसर्न और टी. एल. आई. पी. एल. के बीच एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें अपीलार्थी ने अनुरोध किया।

कि रुपये 50,00,000 की राशि टी. एल. आई. पी. एल. को वापस कर दी जाए। प्रोपराइटरी कंसर्न की चिंताओं को दूर करने के लिए, कि सीएमआरएल बाद की तारीख में उनसे राशि की वसूली करने का भी प्रयास कर सकता है, अपीलार्थी के प्रतिनिधियों ने राशि के लिए प्रोपराइटरी कंसर्न को क्षतिपूर्ति प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की। हालाँकि, प्रोपराइटरी कंसर्न ने इसे अस्वीकार कर दिया था, जिसने इसके बजाय उतनी ही राशि की बैंक गारंटी मांगी थी, जिसे अपीलार्थी ने अस्वीकार कर दिया था। अंत में, प्रोपराइटरी कंसर्न ने नोट किया कि अपीलकर्ता को सीएमआरएल से एक पत्र प्राप्त करना चाहिए जिसमें कहा गया है कि प्रोपराइटरी कंसर्न को उनके द्वारा भुगतान किया गया अग्रिम अपीलकर्ता का है, और यह नहीं होगा

भविष्य में उनके द्वारा दावा किया गया। बैठक के कार्यवृत्त इस प्रकार हैं:

" बैठक के दौरान निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई:

आर. एस. के. ने प्रत्यक्ष के कारणों और प्रक्रिया की व्याख्या की।

सीसीसीएल के विक्रेताओं को सीएमआरएल से भुगतान। आर. एस. के. ने एन. एस. आर. से हित्रो को दी गई अग्रिम राशि वापस करने का अनुरोध किया।

थॉम लाइट को ऊर्जा।

एन. एस. आर. ने इससे इनकार कर दिया क्योंकि भुगतान सी. एम. आर. एल. से चेक के माध्यम से प्राप्त किया गया था और इसे सी. एम. आर. एल. को वापस किया जा सकता है।

केवल तभी जब सी. एम. आर. एल. वही दावा करता है।

आरएसके ने समझाया कि सीसीसीएल ने सीएमआरएल से इसे जारी करने का अनुरोध किया
हिटरो को यह अग्रिम राशि और सी. एम. आर. एल. द्वारा देय सी. सी. सी. एल. में पहले से ही कटौती की गई है, इसलिए यह राशि इस प्रकार है -

सी. सी. सी. एल. और वापस किया जा सकता है।

एन. एस. आर. ने इससे इनकार कर दिया और सी. सी. सी. एल. से सी. एम. आर. एल. से एक पत्र प्राप्त करने के लिए कहा जिसमें कहा गया है कि हिटरो को दिया गया अग्रिम सी. सी. सी. एल. का है और सी. एम. आर. एल. भविष्य में हिटरो से ऐसा दावा नहीं करता है।

एस. आर. ने एन. एस. आर. से कहा कि सी. सी. सी. एल. अग्रिम राशि वापस करने के लिए हिटरो को क्षतिपूर्ति बांड प्रदान कर सकता है, और एन. एस. आर. ने इनकार कर दिया और बी. जी. से इतनी ही राशि के लिए अग्रिम राशि वापस करने के लिए कहा, सी. सी. सी. एल. ने ऐसा करने से इनकार कर दिया।

13. इसके बाद, अपीलार्थी ने सी. एम. आर. एल. से 27 दिसंबर 2016 को एक पत्र प्राप्त किया जिसमें कहा गया था कि उसने 5 लाख रुपये का चेक जारी किया था।

50,00,000 केवल अपीलार्थी के अनुरोध पर। पत्र इस प्रकार हैः

" उपरोक्त संदर्भ में आपके पत्र के संदर्भ में, यह पुष्टि करने के लिए है कि सीएमआरएल ने Rs.50,00,000/- (पचास रुपये) का चेक जारी किया था।

केवल लाख) जिसमें नहीं है। 991712 डीटी। 7.11.2013 , मेसर्स के अनुरोध के आधार पर। समेकित निर्माण कंसोर्टियम लिमिटेड से मेसर्स. एम/एस के लिए विशेष अग्रिम के एक भाग के रूप में हिट्रो एनर्जी सॉल्यूशंस। सी. सी. सी. एल. ने ई. ए. एस. 04, ई. ए. एस. 05 और ई. ए. एस. 06 अनुबंधों के तहत सी. सी. सी. एल. के अनुबंधों को विधिवत डेबिट किया।

खाता "।

यह पत्र अपीलार्थी द्वारा प्रोपराइटरी कंसर्न को भेजा गया था, लेकिन कोई भुगतान नहीं किया गया।

14. इसके बाद अपीलार्थी ने 27 फरवरी 2017 को प्रोपराइटरी कंसर्न को एक पत्र भेजा और उसने रुपये की राशि वापस करने की मांग की।

50,00,000 , 4 नवंबर 2013 से 4 मार्च 2017 या उससे पहले 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से गणना की गई ब्याज के साथ। 2 मार्च 2017 के अपने जवाब में, प्रोपराइटरी कंसर्न ने इनकार कर दिया और नोट किया कि उन्हें केवल सीएमआरएल के साथ अनुबंध की समाप्ति के बारे में पता चला अपीलार्थी का 23 जुलाई 2016 का पत्र। लाइट फिटिंग्स को तब से उनके गोदाम में पड़ा हुआ बताया गया था क्योंकि उन्हें फिर से बेचा नहीं जा सकता था क्योंकि उन्हें अनुकूलित विनिर्देशों पर बनाया गया था, जिससे नुकसान हुआ था। इसके अलावा, इसने नोट किया कि 27 दिसंबर 2016 के सीएमआरएल के पत्र में यह नहीं बताया गया है कि वह भविष्य में प्रोपराइटरी कंसर्न से राशि की वसूली का प्रयास नहीं करेगा।

15. 18 जुलाई 2017 को, अपीलार्थी ने प्रतिवादी को आई. बी. सी. की धारा 8 के तहत एक फॉर्म-3 डिमांड नोटिस भेजा, जिसमें 7 नवंबर 2013 से 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से गणना किए गए ब्याज सहित ऋण को 83,13,973 के रूप में नोट किया गया है। 28 जुलाई 2017 के अपने जवाब में, प्रत्यर्थी ने इस बात से इनकार किया कि उनके द्वारा अपीलार्थी पर कोई ऋण बकाया था। इसके बाद, अपीलार्थी ने दिवाला और दिवालियापन के नियम 6 के साथ पठित आई. बी. सी. की धारा 9 के तहत अपना आवेदन दायर किया

(न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को आवेदन) नियम 2016 1 4 1 नवंबर को

2017 समर्थन करने वाले शपथपत्रों के साथ।

16. 6 दिसंबर 2018 के अपने फैसले से, एन. सी. एल. टी. ने आई. बी. सी. की धारा 9 के तहत आवेदन को स्वीकार किया, जिसके तहत स्थगन घोषित किया गया।

14 " 2016 आवेदन नियम "समेकित निर्माण कंसोर्टियम लिमिटेड। वी. मेसर्स हीरो आरजी सॉल्यूशंस पी. वी. टी. लिमिटेड। [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे।]

आई. बी. सी. के 14 पर और एक आई. आर. पी. नियुक्त किया। के क्रियाशील भाग

इन्हें नीचे निकाला गया हैः

" 11. इस प्राधिकरण द्वारा यह भी नोट किया गया है कि निगम ऋणदाता का संवैधानिक दस्तावेज होने के कारण संघ के ज्ञापन का अन्य दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा खंडन नहीं किया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए, कॉर्पोरेट देनदार के वकील द्वारा उठाई गई आपत्ति

अस्वीकार कर दिया जाता है।

निगमित देनदार अर्थात। , एन. एस. रंगाचारी शायद बना रहे हैं इस उद्देश्य के लिए स्वामित्व फर्म की ओर से संचार

संदिग्ध लेन-देन या कर लाभों के बारे में लेकिन संघ के ज्ञापन के अनुसार, इसे निगमित देनदार द्वारा ले लिया गया है, जिसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार, कॉरपोरेट देनदार का संवैधानिक दस्तावेज होने के नाते मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक प्रामाणिक दस्तावेजी प्रमाण है कि प्रोपराइटरशिप फर्म को ले लिया गया है या कॉर्पोरेट इकाई में परिवर्तित कर दिया गया है। 13. कॉरपोरेट देनदार के वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि सीएमआरएल एक प्रमाण पत्र दे सकता था कि वे मेसर्स हिट्रो एनर्जी सॉल्यूशंस से Rs.50 लाख का दावा नहीं करेंगे, तो राशि का भुगतान कॉरपोरेट देनदार द्वारा किया जा सकता था

परिचालन लेनदार को, जिसके लिए वकील

परिचालन लेनदार ने प्रस्तुत किया है कि उनका मुवक्किल हमेशा सीएमआरएल द्वारा किए गए किसी भी दावे के खिलाफ क्षतिपूर्ति बांड देने के लिए तैयार और इच्छुक रहा है, लेकिन कॉर्पोरेट देनदार के वकील ने ऐसा नहीं किया। प्रस्तावित सुरक्षा के संबंध में प्रतिक्रिया "।

17. एन. सी. एल. टी. के आदेश को एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा 12 को दरकिनार कर दिया गया था।

एम. बी. आर. 2019

आदेश में कहा गया हैः " 7. हालाँकि, रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव दे कि किसी भी सूची द्वारा 'एम/एस' तैयार किया गया है। हिटरो एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने

'एम/एस' पर लिया गया। हिटरो एनर्जी सॉल्यूशंस '।

समेकित निर्माण कंसोर्टियम लिमिटेड 'एक' खरीदार 'है। और 'परिचालन लेनदार' के अर्थ में नहीं आते हैं।

किसी भी माल की आपूर्ति नहीं की है और न ही मेसर्स को कोई सेवा दी है।

धारा 7 या 9 या 'आई एंड बी कोड' के तहत आवेदन नहीं भेज सकते। अपील एन. सी. एल. ए. टी. के निर्णय से उत्पन्न होती है।

सी वकील की प्रस्तुतियाँ

18. अपीलार्थी की ओर से पेश वकील श्री एम. पी. पार्थिबन ने कहा किः

प्रत्यर्थी के एम. ओ. ए. में कहा गया है कि इसके चार मुख्य में से एक

((i)

उद्देश्य स्वामित्व संबंधी चिंता को संभालना है। इस प्रकार, एन. सी. एल. ए. टी. के फैसले के पैराग्राफ 7 में निहित निष्कर्ष, कि इस बात पर ध्यान देने वाली कोई सूची नहीं है कि प्रतिवादी ने लिया है

स्वामित्व संबंधी चिंता पर, गलत है;

((ख)

और इस प्रकार यह प्रत्यर्थी से अपीलार्थी को देय हो जाता है; अपीलार्थी ढांचे के भीतर एक परिचालन लेनदार है।

(iii)

आई. बी. सी. के लिए क्योंकि प्रकाश फिटिंग के लिए खरीद आदेश अपीलार्थी की परिचालन आवश्यकताओं के संबंध में थे; और

(iv) आई. बी. सी. की धारा 9 के तहत आवेदन द्वारा वर्जित नहीं है

सीमा।

19. श्री के. परमेश्वर, की ओर से पेश वकील

एनडेंट ने प्रस्तुत किया किः

((i)

अपीलार्थी के लेन-देन केवल स्वामित्व के साथ हुए हैं।

चिंता करें न कि उत्तरदाता की। जबकि उत्तरदाता

हो सकता है कि एम. ओ. ए. ने इसे संभालने का इरादा व्यक्त किया हो।

प्रोपराइटरी कंसर्न, प्रतिवादी ने बाद में बोर्ड के प्रस्ताव के माध्यम से अपना इरादा बदल दिया। इसके अलावा, प्रोपराइटरी कंसर्न आज तक मौजूद है और यह एक अलग इकाई है जो कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्टियम लिमिटेड है।

वी. मेसर्स हीरो आरजी सॉल्यूशंस पी. वी. टी. लिमिटेड। [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे।]

उत्तरदाता से। इस प्रकार, प्रत्यर्थी को उसके ऋण के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है।

((ख)

अपीलार्थी और उसके बीच अनुबंध की कोई गोपनीयता नहीं है। प्रत्यर्थी, क्योंकि अपीलार्थी का अनुबंध के साथ था

स्वामित्व संबंधी चिंता और अग्रिम का भुगतान

स्वामित्व संबंधी चिंता सी. एम. आर. एल. द्वारा की गई थी;

अपीलार्थी परिचालन लेनदार नहीं है क्योंकिः

(iii)

अपीलार्थी ने कोई वस्तु या सेवा प्रदान नहीं की

ए।

प्रत्यर्थी को, लेकिन केवल प्रोपराइटरी कंसर्न से वस्तुओं या सेवाओं का लाभ उठाया। अतः, अपीलार्थी इसके भीतर एक परिचालन लेनदार नहीं होगा।

आईबीसी की धारा 5 (20) का अर्थ; और

किसी भी मामले में, भले ही ऋण मौजूद हो, यह हाथों में है

बी।

सी. एम. आर. एल., जिसने इसे कानूनी रूप से अपीलार्थी को हस्तांतरित नहीं किया है;

((iv) आवेदन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि यह उस पर दायर किया गया था।

1 नवंबर 2017, तारीख के तीन साल से अधिक समय बाद

डिफ़ॉल्ट, अर्थात, 7 नवंबर 2013; और

अपीलार्थी वर्तमान कार्यवाही का दुरुपयोग करना चाहता है।

(v)

अपने बकाया की वसूली के लिए आई. बी. सी. के तहत।

20. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर अब विचार किया जाएगा।

डी क्या अपीलार्थी एक परिचालन लेनदार है

21. प्रत्यर्थी की प्राथमिक प्रस्तुति, जिसे स्वीकार कर लिया गया था

ई. एन. सी. एल. ए. टी., यह है कि अपीलकर्ता आई. बी. सी. के एन. बिट के भीतर एक परिचालन लेनदार नहीं है, और इसलिए धारा 9 के तहत इसका आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं है। इस दावे का आकलन करने के लिए, हमें प्रासंगिक प्रावधानों, नियमों और विनियमों, विधायी प्रावधानों को हटाना होगा।

आई. बी. सी. और इस न्यायालय के पूर्ववर्ती।

डी. 1 सांविधिक प्रावधान 22. आई. बी. सी. की धारा 5 (20) में "परिचालन लेनदार" को परिभाषित किया गया है -

विंग शर्तें:

" (20) " प्रचालन लेनदार "से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके लिए प्रचालन

ऋण बकाया है और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जिस पर ऐसा ऋण है।

कानूनी रूप से सौंपा या स्थानांतरित किया गया; "[2022] 2 एस. सी. आर.

धारा 5 (21) "परिचालन ऋण" के अर्थ को परिभाषित करती है। अनुभाग

, जैसा कि यह प्रासंगिक समय पर था, इस प्रकार थाः

" (21) " प्रचालन ऋण का अर्थ है -

रोजगार या ऋण सहित वस्तुओं या सेवाओं का प्रावधान

के लिए किसी भी कानून के तहत उत्पन्न बकाया के पुनः भुगतान के संबंध में

केंद्र सरकार को लागू और देय होने के कारण, कोई भी

राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण;

(जोर दिया गया)

एक परिचालन ऋण के संबंध में एक दावा शामिल करने की आवश्यकता है

वस्तुओं या सेवाओं का अधिग्रहण। "दावा" वाक्यांश को खंड में परिभाषित किया गया है।

निम्नलिखित शब्दों में आई. बी. सी.:

" (6) " दावा "का अर्थ है -

(क) भुगतान का अधिकार, चाहे वह अधिकार घटाया गया हो या नहीं

निर्णय, निश्चित, विवादित, निर्विवाद, कानूनी, न्यायसंगत, सुरक्षित या

असुरक्षित; (ख) किसी भी कानून के तहत अनुबंध के उल्लंघन के लिए उपचार का अधिकार

समय पर लागू होने पर, यदि इस तरह का उल्लंघन भुगतान के अधिकार को जन्म देता है,

ऐसा अधिकार निर्णय तक सीमित, निश्चित, परिपक्व है या नहीं, अपरिपक्व, विवादित, निर्विवाद, सुरक्षित या असुरक्षित;

23. आई. बी. सी. की धारा 8 उन चरणों की व्याख्या करती है जो कार्यात्मक हैं।

टॉर के खिलाफ दिवालिया होने का दावा दायर करने से पहले कार्य करने की आवश्यकता है

निगमित देनदार। प्रासंगिक समय में, यह इस प्रकार थाः

परिचालन लेनदार, एक डिफ़ॉल्ट की घटना पर, एक वितरित कर सकता है एक चालान की अवैतनिक परिचालन देनदार प्रति की मांग सूचना

निगमित ऋणी ऐसे रूप और तरीके से जो निर्धारित किया जाए। (2) निगमित देनदार, दस दिनों की अवधि के भीतर

मांग सूचना की प्राप्ति या इसमें उल्लिखित चालान की प्रति

उप-धारा (1) परिचालन लेनदार के ध्यान में लाए -

(क) विवाद का अस्तित्व, यदि कोई हो, और लंबित होने का अभिलेख

ऐसी प्राप्ति से पहले दायर किया गया मुकदमा या मध्यस्थता कार्यवाही

ऐसे विवाद के संबंध में सूचना या चालान;

(ख) मेसर्स कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्टियम लिमिटेड के अवैतनिक परिचालन ऋण का पुनर्भुगतान। वी. मेसर्स हीरो एनर्जी सॉल्यूशंस पी. वी. टी. लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

(i) निगम के बैंक खाते से अवैतनिक राशि के इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के रिकॉर्ड की एक सत्यापित प्रति भेजकर।

ऋणी; या

(ii) रिकॉर्ड की एक सत्यापित प्रति भेजकर कि परिचालन लेनदार ने कॉर्पोरेट देनदार द्वारा जारी किए गए चेक को भुनाया है।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "मांग सूचना" का अर्थ है एक परिचालन लेनदार द्वारा निगमित देनदार को दी गई सूचना जिसमें निम्नलिखित के संबंध में परिचालन ऋण के पुनर्भुगतान की मांग की गई हैः

जो डिफ़ॉल्ट रूप से हुआ है "।

धारा 8 (1) के अनुसार, एक परिचालन लेनदार कॉर्पोरेट देनदार को एक मांग सूचना भेज सकता है जब कोई चूक होती है, और

वह तरीका जो निर्धारित किया जा सके। " आई. बी. सी. की धारा 3 (12) के तहत डिफ़ॉल्ट को परिभाषित किया गया है, और यह प्रासंगिक समय पर इस प्रकार थाः

" (12) " "चूक" का अर्थ है ऋण का भुगतान न करना जब ऋण की राशि का पूरा या कोई हिस्सा या किश्त देय हो गया हो और देय है और ऋणी या निगमित ऋणी द्वारा पुनः भुगतान नहीं किया जाता है,

जैसा भी मामला हो; "

24. 2016 के आवेदन नियमों के नियम 5 में धारा 8 (1) के तहत मांग सूचना देने का तरीका प्रदान किया गया है। यह. इस प्रकार प्रदान करता हैः

" 5. परिचालन लेनदार द्वारा नोटिस की मांग करें। — (1) अ.

प्रचालन लेनदार निगमित देनदार को निम्नलिखित दस्तावेज प्रदान करेगा, अर्थात्।

(क) प्रपत्र 3 में मांग सूचना; या

(ख) प्रपत्र 4 में सूचना के साथ संलग्न चालान की एक प्रति।

(2) मांग सूचना या संहिता की धारा 8 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट भुगतान की मांग करने वाले चालान की प्रति,

निगमित देनदार को दिया जा सकता है,

(क) पंजीकृत कार्यालय में हाथ से, पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट पर देय पावती के साथ; या

(ख) निगमित देनदार के पूर्णकालिक निदेशक या नामित भागीदार या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों, यदि कोई हो, को इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा द्वारा। (3) एक परिचालन लेनदार द्वारा इस नियम के तहत भुगतान की मांग करने वाले मांग सूचना या चालान की एक प्रति भी इसके साथ दाखिल की जाएगी।

एक सूचना उपयोगिता, यदि कोई हो।

इस प्रकार, नियम 5 के उप-नियम (1) के तहत, एक परिचालन लेनदार आई. बी. सी. की धारा 8 (1) के तहत दो के माध्यम से मांग नोटिस दे सकता है।

ods: (i) प्रपत्र 3 में मांग सूचना; या (ii) प्रपत्र 4 में सूचना के साथ एक चालान की एक प्रति। प्रपत्र 3 में प्रचालन ऋणदाता को प्रचालन ऋण के संबंध में निम्नलिखित जानकारी की आवश्यकता होती है:

" 2. कृपया भुगतान न किए गए परिचालन ऋण का विवरण नीचे दें:

परिचालन ऋण के सहभागी

1 . ऋण की कुल राशि, विवरण

ऋण गिर गया, और तारीख जो इस तरह का ऋण गिर गया

2 . ए. एम. ओ. यू. एन. टी. पर दोषपूर्ण होने का दावा किया जाता है और

चूक किस तारीख को हुई

OCCURRED (काम के लिए हमला करें)

दलाली का संयोजन

टैबलर फॉर्म)

3 . सुरक्षा के भागीदार, यदि कोई हो,

इसके निर्माण की तिथि, यह निर्धारित है

एक प्रमाण पत्र की एक प्रति पर हमला करें द्वारा जारी शुल्क का पंजीकरण

कंपनियों का पंजीकरण (यदि निगम ऋणदाता एक कंपनी है)

4 . शीर्षक को वापस लेने का विवरण

सम्मान में व्यवस्थाएँ (यदि कोई हो)

संचालन के लिए अच्छे

ऋण संदर्भ

5 . रिकॉर्ड करें

के साथ गलती का

सूचना उपयोगिता (यदि कोई हो)

6 . कानून, अनुबंध या प्रावधान

ऋण के तहत अन्य दस्तावेज

मृत्यु हो गई है

7 . इस पर संलग्न दस्तावेजों की सूची

साबित करने के लिए आदेश में आवेदन

परिचालन ऋण का अस्तित्व और

द एएमयूएनटी इन डिफॉल्ट मेसर्स कंसोलेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्टियम लिमिटेड। वी. मेसर्स हीरो एनर्जी सॉल्यूशंस पी. वी. टी. लिमिटेड। [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे।]

इसके विपरीत, प्रपत्र 4 प्रदान करता हैः
" [परिचालन लेनदार का नाम], इसके द्वारा आई. एन. आर. [सम्मिलित राशि] की अवैतनिक राशि के पुनर्भुगतान के लिए सूचना प्रदान करता है।

डिफ़ॉल्ट जैसा कि इस सूचना के साथ संलग्न चालान में परिलक्षित होता है।

इसलिए, एक परिचालन लेनदार द्वारा एक परिचालन ऋण के लिए एक मांग सूचना के साथ एक चालान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन

इसे वहां भेजा जा सकता है जहां ऐसा ऋण "कानून, अनुबंध या अन्य दस्तावेज के प्रावधान" के तहत उत्पन्न होता है और जिसके लिए मांग सूचना के साथ दस्तावेज संलग्न किए जा सकते हैं।

25. उपरोक्त निष्कर्ष भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (कॉरपोरेट के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) द्वारा भी समर्थित है।

व्यक्ति) विनियम 2016 1 5. परिचालन लेनदारों के दावों के संबंध में, विनियमन 7, जैसा कि यह प्रासंगिक समय पर था, इस प्रकार प्रदान किया गयाः

" 7. प्रचालन ऋणदाताओं द्वारा दावे।

(1) परिचालन लेनदार होने का दावा करने वाला व्यक्ति, इसके अलावा

निगमित देनदार के कर्मचारी या कर्मचारी, अंतरिम समाधान पेशेवर को व्यक्तिगत रूप से, डाक या अन्य माध्यम से दावे का प्रमाण प्रस्तुत करेंगे।

अनुसूची के प्रपत्र बी में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों सेः

बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति संविधान के गठन से पहले दावे के समर्थन में पूरक दस्तावेज या स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता है

समिति। (2)
इस विनियमन के तहत परिचालन लेनदार के कारण ऋण का अस्तित्व इन आधार पर साबित किया जा सकता है -

(क) सूचना उपयोगिता के पास उपलब्ध अभिलेख, यदि कोई हो; या

(ख) अन्य प्रासंगिक दस्तावेज, जिनमें शामिल हैं -

(i) निगमों के साथ वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध।

कर्जदार;

((ii) वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान की मांग करने वाला चालान।

निगमित देनदार को आपूर्ति की गई;

((ग) न्यायालय या न्यायाधिकरण का एक आदेश जिसने इस पर निर्णय दिया है -

ऋण का भुगतान न करना, यदि कोई हो; या

((iv) वित्तीय खाते।

15 " सी. आई. आर. पी. नियम 2016 "

विनियमन 7 (2) के तहत, एक परिचालन लेनदार न केवल माल के लिए भुगतान की मांग करने वाले चालान के माध्यम से अपनी स्थिति साबित कर सकता है।निगमित देनदार को आपूर्ति की जाने वाली सेवाएँ (विनियमन 7 (2) (ii)) लेकिन उनके साथ वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध के माध्यम से

ओरेट देनदार "(विनियमन 7 (2) (i))।

26. आई. बी. सी. की धारा 8 के तहत प्रक्रियाएं पूरी हो जाने के बाद, यह आई. बी. सी. की धारा 9 के तहत आवेदन दायर कर सकता है।

बी. सी. कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में सी. आई. आर. पी. शुरू करने के लिए। धारा 9 सुसंगत समय पर निम्नलिखित रूप में कटौती करती हैः

परिचालन लेनदार द्वारा समाधान प्रक्रिया। (1) इसके बाद वितरण की तारीख से दस दिनों की अवधि की समाप्ति

उप-धारा के तहत भुगतान की मांग करने वाला नोटिस या चालान (1) धारा 8 के अनुसार, यदि परिचालन लेनदार को निगमित देनदार से भुगतान या धारा 8 की उप-धारा (2) के तहत विवाद की सूचना नहीं मिलती है, तो परिचालन लेनदार एक याचिका दायर कर सकता है।

एक शुरू करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष आवेदन

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया।

(2) उप-धारा (1) के तहत आवेदन ऐसे प्रपत्र और तरीके से और उस शुल्क के साथ दाखिल किया जाएगा जो हो सके -

निर्धारित किया गया।

(3) प्रचालन लेनदार आवेदन के साथ

साज-सज्जा (क) प्रचालन लेनदार द्वारा निगमित देनदार को भुगतान या मांग सूचना की मांग करने वाले चालान की एक प्रति;

(ख) इस आशय का एक शपथ पत्र कि निगमित देनदार द्वारा अवैतनिक परिचालन ऋण के विवाद के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है;

(ग) वित्तीय संस्थानों से प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रचालन लेनदार के खातों को बनाए रखना जो यह पुष्टि करता है कि निगमित देनदार द्वारा प्रचालन ऋण का कोई भुगतान नहीं किया गया है; और

((घ) ऐसी अन्य जानकारी जो विहित की जाए।

(4) निगमित दिवालियापन की शुरुआत करने वाला एक परिचालन लेनदार

इस धारा के तहत समाधान प्रक्रिया, एक प्रस्ताव का प्रस्ताव कर सकती है

एक अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में कार्य करने के लिए पेशेवर।

समेकित निर्माण कंसोर्टियम लिमिटेड वी. मेसर्स हीरो आरजी सॉल्यूशंस पी. वी. टी. लिमिटेड। [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे।]

(5) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, उप-धारा (2) के तहत आवेदन प्राप्त होने के चौदह दिनों के भीतर, एक आदेश द्वारा

(i) आवेदन स्वीकार करें और इस तरह के निर्णय को सूचित करें

प्रचालन लेनदार और निगमित देनदार यदि,

(क) उप-धारा (2) के तहत किया गया आवेदन पूरा हो गया है;

(ख) अवैतनिक परिचालन ऋण का कोई पुनर्भुगतान नहीं है;

(ग) निगमित देनदार को भुगतान के लिए चालान या नोटिस परिचालन लेनदार द्वारा दिया गया है;

(घ) प्रचालन लेनदार द्वारा विवाद की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है या सूचना उपयोगिता में विवाद का कोई रिकॉर्ड नहीं है; और (ई) किसी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है।

उप-धारा (4), यदि कोई हो, के तहत प्रस्तावित समाधान पेशेवर। ((ii) आवेदन को अस्वीकार करें और इस तरह के निर्णय के बारे में सूचित करें।

प्रचालन लेनदार और निगमित देनदार, यदि

(क) उप-धारा (2) के तहत किया गया आवेदन अधूरा है;

निगमित देनदार के लिए; (घ) परिचालन लेनदार द्वारा विवाद की सूचना प्राप्त की गई है या सूचना उपयोगिता में विवाद का रिकॉर्ड है; या

(ई) किसी भी प्रस्तावित समाधान पेशेवर के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है: बशर्ते कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, अस्वीकार करने से पहले

खंड (ii) के उपखंड (क) के तहत आवेदन, आवेदक को न्यायनिर्णायक से ऐसी सूचना प्राप्त होने की तारीख से सात दिनों के भीतर अपने आवेदन में दोष को सुधारने के लिए नोटिस दें।

प्राधिकरण। (6) निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया इस धारा की उप-धारा (5) के तहत आवेदन स्वीकार किए जाने की तारीख से शुरू होगी।

धारा 9 (1) के अनुसार, एक परिचालन लेनदार धारा 8 के तहत डिलीवरी की तारीख से दस दिनों के बाद धारा 9 के तहत आवेदन दायर कर सकता है, यदि मौजूदा [2022] 2 एस. सी. आर. का कोई भुगतान या नोटिस नहीं है।

टी प्राप्त किया जाता है। धारा 9 (3) (ए) आवेदन की आवश्यकता है

भुगतान की मांग करने वाले चालान की एक प्रति या परिचालन लेनदार द्वारा निगमित देनदार को दी गई मांग। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि यह या तो दोनों में से एक हो सकता है, यानी एक चालान या और नोटिस।

27. 2016 आवेदन नियमों के नियम 6 में प्रावधान है कि

धारा 9 के तहत राशन आवश्यक विवरण 5 के साथ दाखिल किया जाना है। प्रपत्र 5 के भीतर, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित विवरण

प्रतिजन ऋण प्रदान किए जाने की आवश्यकता हैः

" भाग-V

परिचालन ऋण के सहभागी [दस्तावेज़,

रिकॉर्ड और चूक का प्रमाण]

1. सुरक्षा के भागीदार, यदि कोई भी, इसके निर्माण की तारीख है, तो इसका मूल्यांकन क्रेडिट के अनुसार किया जाता है। कंपनियों के पंजीयक द्वारा जारी शुल्क के पंजीकरण के प्रमाण पत्र की एक प्रति (यदि निगम ऋणदाता ए है)

कंपनी)

2 . शीर्षक के संरक्षण/वापसी का विवरण

वस्तुओं के संबंध में व्यवस्था (यदि कोई हो)

जो ऑपरेशनल ऋण संदर्भित करता है

3 . किसी न्यायालय, ट्राइब्यूनल या आर्बिट्रल पैनल के आदेश के भाग लेने वाले, यदि

कोई भी (आदेश की एक प्रति संलग्न करें)

4. सूचनात्मकता के साथ चूक का रिकॉर्ड,

यदि कोई हो (इस तरह के रिकॉर्ड की एक प्रति संलग्न करें)

5 . भारतीय सफलता अधिनियम, 1925 (1925 का 10) (एटैच ए कॉपी) के तहत सफलता प्रमाण पत्र, या किसी वसीयत का प्रावधान, या प्रशासन पत्र, या अदालत के फैसले (जैसा लागू हो सकता है) का विवरण। 6. कानून, अनुबंध या अन्य दस्तावेज़ का प्रावधान

जिसके तहत ऋण आया है

7 . बैंक खाते का एक विवरण जहां डिपॉजिट बनाए जाते हैं या क्रेडिट कॉर्पोरेट ऋणदाता के ऋण के सम्मान में ऑपरेशनल क्रेडिट द्वारा सामान्य रूप से प्राप्त किए जाते हैं (एक प्रति पर ध्यान दें)

8 . परिचालन ऋण की उपस्थिति और समझौता मेसर्स कंसोलेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्टियम लिमिटेड के खाते को साबित करने के आदेश में इस आवेदन के लिए संलग्न दस्तावेजों की सूची।

वी. एम/एस हीरो

ऊर्जा समाधान पीवीटी। लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

डी. 2 विधायी इतिहास

28. अन्य विदेशी क्षेत्राधिकारों के विपरीत, जो आम तौर पर अलग करते हैं

केवल सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों के बीच, आई. बी. सी. अद्वितीय है क्योंकि यह लेनदारों के दो अलग-अलग वर्गों के लिए प्रदान करता हैः परिचालन लेनदार और वित्तीय लेनदार। आई. बी. सी. के ढांचे के भीतर पूर्व की स्थिति को समझने के लिए, इन दोनों वर्गों के बीच के अंतर को समझना महत्वपूर्ण है।

29. प्राथमिक स्रोत रिपोर्ट का खंड I है

दिवालियापन कानून सुधार समिति 1 6. यह नोट करता है कि "[ई] उद्यमों के पास ऋण और ऋण अनुबंधों के साथ-साथ परिचालन लेनदारों जैसे कर्मचारियों, किराये के दायित्वों, उपयोगिताओं के भुगतान और व्यापार ऋण के माध्यम से वित्तीय लेनदार होते हैं"। यह प्रावधान करता है कि एक कॉर्पोरेट देनदार के पास वित्तीय और परिचालन देनदारियां होंगी, और इस अंतर को निम्नानुसार समझाता हैः .

" देनदारियाँ दो व्यापक समूहों में आती हैंः वित्तीय आधार पर देनदारियाँ परिचालन अनुबंधों के आधार पर अनुबंध और देनदारियाँ। वित्तीय

परिचालन नकदी प्रवाह पर अस्थायी शुल्क द्वारा सुरक्षित; ऋण अनुबंध जो असुरक्षित हैं; ऋण प्रतिभूतियाँ जो भौतिक रूप से सुरक्षित हैं

परिसंपत्तियाँ, नकदी प्रवाह या असुरक्षित हैं। परिचालन अनुबंध

आम तौर पर वस्तुओं और सेवाओं का आदान-प्रदान शामिल होता है

नकद। एक उद्यम के लिए, बाद वाले में इसके लिए देय राशि शामिल है

कच्चे माल, अन्य निवेश या सेवाओं की खरीद, कराधान

और वैधानिक देनदारियाँ, और मजदूरी और लाभ कर्मचारी "।

(जोर दिया गया)

इसके अलावा, रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया हैः .

" यहाँ, संहिता वित्तीय लेनदारों और ऋणदाताओं के बीच अंतर करती है। परिचालन लेनदार। वित्तीय लेनदार वे होते हैं जिनके

16 " बी. एल. आर. सी. रिपोर्ट "17 पी. जी. 22, यहाँ उपलब्ध हैः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. आईबीबी। गव. इन/अपलोड/संसाधन/बी. एल. आर. सी. रिपोर्ट मतदान 04112015. पी. डी. एफ.> 13 जनवरी 2022 को पहुँचा गया 18 आई. बी. आई. डी., पेज 54

इबिद, पेज 77 [2022] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इकाई के साथ संबंध एक शुद्ध वित्तीय अनुबंध है, जैसे कि

ऋण या ऋण प्रतिभूति। परिचालन लेनदार वे हैं जिनके

इकाई से देयता एक लेन-देन से आती है

संचालन। इस प्रकार, स्पेयर पार्ट्स का थोक विक्रेता जिसका

जिसे स्पार्क प्लग बेचे जाने के बाद ही भुगतान किया जाता है परिचालन लेनदार। इसी तरह, वह पट्टेदार जिसे इकाई किराए पर लेती है

एक परिचालन लेनदार है जिसे इकाई तीन साल के पट्टे पर मासिक किराया देना पड़ता है। कोड भी

ऐसे मामलों के लिए प्रावधान करता है जहां एक लेनदार के पास केवल वित्तीय अधिकार दोनों हैं। लेन-देन के साथ-साथ इकाई के साथ एक परिचालन लेनदेन। में।

ऐसे मामले में, लेनदार को वित्तीय लेनदार माना जा सकता है

वित्तीय ऋण की सीमा और एक परिचालन लेनदार

प्रचालन ऋण की सीमा "।

(जोर दिया गया)

30. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि परिचालन ऋणदाता वे हैं जिनका ऋण

परिचालन लेनदेन से उत्पन्न होता है, अर्थात, लेनदेन जो एक उद्यम के संचालन के संबंध में किए जाते हैं। जैसा कि बी. एल. आर. सी. रिपोर्ट के उदाहरणों से पता चलता है, इनमें आम तौर पर माल या सेवाओं से जुड़े लेनदेन शामिल होते हैं जिन्हें संचालन के लिए आवश्यक माना जाता है।

एक इकाई का कार्य।

31. आईबीसी पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट

निम्नलिखित में वित्तीय और परिचालन लेनदारों के बीच अंतर करता हैः पद 2 0 20:

" विधेयक के साथ खंड 21 जोड़ा गया है जिसमें कहा गया हैः - " द.

समिति उन सदस्यों से बनी होनी चाहिए जिनके पास

निगम की वाणिज्यिक व्यवहार्यता का आकलन करने की क्षमता ऋणी और जो ऋण की शर्तों को संशोधित करने के इच्छुक हैं

लेनदारों और ऋणदाताओं के बीच बातचीत में अनुबंध

वाणिज्यिक व्यवहार्यता से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने में सक्षम निगमित देनदार, और न ही वे आम तौर पर इच्छुक हैं

बनाने के लिए अपने ऋणों के पुनर्गठन का जोखिम उठाएँ निगमित ऋणी एक चालू चिंता है। इसी तरह, वित्तीय

ऐसे लेनदार जो परिचालन लेनदार भी हैं, उन्हें दिया जाएगा।

20 पी. जी. 14, पर उपलब्ध है < HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. आईबीबी। गव. में/अपलोड/संसाधन/16 _ ज्वाइंट _ कमेटी _ ऑन _ इन्सॉल्वेंसी _ एंड _ बैंकरप्सी _ कोड _ 2015 _ 1।

पी. डी. एफ.> 13 जनवरी 2022 को एक्सेस किया गया एम/एस कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्टियम लिमिटेड। वी. एम/एस हीरो

ऊर्जा समाधान पीवीटी। लिमिटेड। [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे।]

उनके वित्तीय ऋण। लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय लेनदार परिचालन लेनदारों के साथ अनुचित व्यवहार नहीं करते हैं,

किसी भी समाधान योजना को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परिचालन ऋणदाता

अपने ऋण के परिसमापन मूल्य से कम राशि प्राप्त न करें

9999

(यह मानते हुए कि निगमित देनदार का परिसमापन किया जाना था)।

(जोर दिया गया)

32. इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों के बीच एक और अंतर है।

वित्तीय और परिचालन लेनदार लेनदारों की समिति में अपनी भूमिका की प्रकृति में होंगे 2 1 क्योंकि यह माना जाता है कि परिचालन लेनदार अपने ऋणों के पुनर्गठन का जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं होंगे ताकि कॉर्पोरेट देनदार को एक चालू चिंता का विषय बनाया जा सके। इस प्रकार, उनके ऋण को कॉर्पोरेट देनदार की चालू चिंता की स्थिति में एक दीर्घकालिक निवेश के रूप में नहीं देखा जाता है, जो उन्हें इसके पुनर्गठन के लिए प्रोत्साहित करेगा, लेकिन

केवल कुछ वस्तुओं या सेवाओं के लिए निगमित देनदार के साथ एक बार के लेनदेन के रूप में।

डी. 3 न्यायिक पूर्ववर्ती

33. स्विस रिबन (पी) लिमिटेड बनाम। भारत संघ 2 2 (स्विस)

रिबन), आई. बी. सी. के कुछ प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी, जिसमें वित्तीय और परिचालन लेनदारों को प्रदान किए गए अधिकारों के अंतर पर ध्यान केंद्रित किया गया था। आई. बी. सी. के तहत वित्तीय लेनदारों और परिचालन लेनदारों द्वारा कार्यवाही शुरू करने के तरीकों में अंतर को देखने के बाद, अदालत की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि वित्तीय और परिचालन लेनदारों के बीच एक स्पष्ट अंतर था। न्यायालय ने कहाः

" 50. हमारे अनुसार, यह स्पष्ट है कि अधिकांश वित्तीय लेनदार,

विशेष रूप से बैंक और वित्तीय संस्थान, सुरक्षित लेनदार हैं। जबकि अधिकांश परिचालन लेनदार असुरक्षित हैं, के लिए भुगतान

माल और सेवाओं के साथ-साथ श्रमिकों को भुगतान नहीं किया जा रहा है

गिरवी रखे गए दस्तावेजों और इसी तरह के द्वारा सुरक्षित। यह अंतर

यूनाइटेड किंगडम और इस देश में। उपरोक्त के अलावा, वित्तीय लेनदारों के साथ ऋण समझौतों की प्रकृति अलग है

वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए परिचालन लेनदारों के साथ अनुबंध। वित्तीय लेनदार आम तौर पर एक सावधि ऋण या कार्यशील पूंजी के लिए वित्त उधार देते हैं जो कॉर्पोरेट देनदार को या तो अपना व्यवसाय स्थापित करने और/या संचालित करने में सक्षम बनाता है। दूसरी ओर, परिचालन लेनदारों के साथ अनुबंध व्यवसाय के संचालन में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हैं। वित्तीय अनुबंधों में आम तौर पर बड़ी राशि शामिल होती है। इसके विपरीत, परिचालन अनुबंधों पर देय राशि होती है जिसकी मात्रा आम तौर पर कम होती है। व्यवसाय के संचालन में, वित्तीय लेनदारों के विपरीत परिचालन लेनदार कई हो सकते हैं, जो व्यवसाय की स्थापना या कामकाज के लिए वित्त उधार देते हैं। इसके अलावा, वित्तीय लेनदारों ने पुनर्भुगतान को निर्दिष्ट किया है।

अनुसूची, और चूक वित्तीय लेनदारों को समग्र रूप से ऋण वापस लेने का अधिकार देती है। परिचालन ऋणदाताओं के साथ अनुबंधों में ऐसी कोई शर्त नहीं होती है। साथ ही, जिस मंच पर विवाद का समाधान होता है, वह पूरी तरह से अलग है। परिचालन लेनदारों के साथ अनुबंधों में मध्यस्थता खंड हो सकते हैं और हो सकते हैं जहां विवाद समाधान निजी तौर पर किया जाता है। परिचालन ऋण भी प्रकृति में आवर्ती होते हैं और परिचालन ऋणों के मामले में वास्तविक विवादों की संभावना की तुलना में बहुत अधिक होती है।

वित्तीय ऋण। एक उदाहरण काफी होगा। आपूर्ति की जाने वाली वस्तुएँ घटिया हो सकती हैं। जो सेवाएँ प्रदान की जाती हैं वे घटिया हो सकती हैं। हो सकता है कि वस्तुओं की आपूर्ति बिल्कुल नहीं की गई हो। ये सभी प्रचालन ऋण ऐसे मामले हैं जिन्हें मध्यस्थता या अदालतों में साबित किया जाना है। दूसरी ओर, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को दिए गए वित्तीय ऋण अच्छी तरह से प्रलेखित हैं और किए गए चूक आसानी से सत्यापित किए जा सकते हैं।

51. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्तीय लेनदार, शुरू से ही, निगम की व्यवहार्यता का आकलन करने में शामिल हैं।

ऋणी। वे ऋण के पुनर्गठन के साथ-साथ कॉर्पोरेट देनदार के व्यवसाय के पुनर्गठन में शामिल हो सकते हैं और इसलिए कर सकते हैं। जब वित्तीय तनाव होता है, जो ऐसी चीजें हैं जो परिचालन लेनदार नहीं करते हैं और न ही कर सकते हैं। इस प्रकार, निगमित देनदार को एक चालू चिंता के रूप में संरक्षित करते हुए, सभी लेनदारों के लिए अधिकतम वसूली सुनिश्चित करना संहिता का उद्देश्य है, वित्तीय लेनदार स्पष्ट रूप से परिचालन लेनदारों से अलग हैं और इसलिए,

स्पष्ट रूप से दोनों के बीच एक बोधगम्य अंतर जिसका संहिता द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों से सीधा संबंध है।

मेसर्स कन्सोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्टियम लिमिटेड। वी. एम/एस हीरो

ऊर्जा समाधान पीवीटी। लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

[.....]

75. चूँकि वित्तीय लेनदार धन उधार देने के व्यवसाय में हैं, बैंक और वित्तीय संस्थान व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए सर्वोत्तम रूप से सुसज्जित हैं।

और निगमित देनदार के व्यवसाय की व्यवहार्यता। यहां तक कि

ऋण देने का समय, ये बैंक और वित्तीय संस्थान

एक विस्तृत बाजार अध्ययन करना जिसमें एक तकनीक शामिल है

आर्थिक मूल्यांकन रिपोर्ट, व्यवसाय का मूल्यांकन, वित्तीय

प्रक्षेपण, आदि। चूंकि यह विस्तृत अध्ययन पहले ही किया जा चुका है ऋण स्वीकृत करने से पहले और वित्तीय लेनदारों के रूप में

व्यवहार्यता और व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी हैं, वे हैं समाधान योजना की सामग्री का मूल्यांकन करने के लिए एक अच्छी स्थिति में।

दूसरी ओर, परिचालन लेनदार, जो माल प्रदान करते हैं

और सेवाएँ, केवल उस राशि की वसूली में शामिल हैं जो

ऐसी वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान किया जाता है, और आम तौर पर व्यवसाय की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता का आकलन करने में असमर्थ। द.

बी. एल. आर. सी. रिपोर्ट, जो पहले ही ऊपर उद्धृत की जा चुकी है, इसे प्रचुरता से बताती है।

साफ है "।

(जोर दिया गया)

34. पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड v. संघ

भारत की 2,3 ("पायनियर अर्बन"), इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ को किए गए संशोधनों के लिए एक संवैधानिक चुनौती पर निर्णय लेना पड़ा

आई. बी. सी., जिसके माध्यम से अचल संपत्ति परियोजनाओं के आवंटनकर्ताओं को वित्तीय लेनदार घोषित किया गया था। घर खरीदारों और परिचालन ऋणदाताओं के बीच अंतर को उजागर करते हुए, न्यायालय ने कहा किः सबसे पहले, आम तौर पर परिचालन लेनदार वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्तिकर्ता होते हैं जबकि

घर खरीदार डेवलपर को पैसे अग्रिम देता है, ताकि देनदार (फ्लैट का) आपूर्तिकर्ता हो; दूसरा, एक परिचालन लेनदार की कॉर्पोरेट देनदार में कोई रुचि या हिस्सेदारी नहीं होती है, एक घर खरीदार के विपरीत जो महत्वपूर्ण रूप से कर्जदार होता है।

अचल संपत्ति परियोजना से संबंधित; और तीसरा, एक परिचालन ऋण में, धन के समय मूल्य के लिए कोई विचार नहीं है क्योंकि ऋण का प्रतिफल उन वस्तुओं या सेवाओं को माना जाता है जिन्हें या तो परिचालन लेनदार से बेचा जाता है या उनका लाभ उठाया जाता है, जबकि अचल संपत्ति परियोजनाओं में, आवंटनकर्ता से धन जुटाया जाता है, जिसे धन के समय मूल्य के लिए विचार के बदले जुटाया जाता है। न्यायालय ने कहाः

> " 42. यह कहना असंभव है कि अचल संपत्ति डेवलपर्स को वर्गीकृत करना
>
> एक समझदार अंतर पर आधारित नहीं है जो अलग करता है

उन्हें अन्य परिचालन लेनदारों से, और न ही यह कहना संभव है कि इस तरह का वर्गीकरण स्पष्ट रूप से मनमाना है जिसका संहिता के उद्देश्यों से कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है। याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वकील द्वारा यह जोरदार तर्क दिया गया था कि यदि अचल संपत्ति डेवलपर्स को संहिता के चंगुल में लाया जाता, तो परिचालन देनदारों की तरह होने के नाते, उन्हें इस नियम के तहत लाया जा सकता था न कि वित्तीय देनदारों के रूप में। यहाँ फिर से, रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए क्या अद्वितीय है बनाम परिचालन

ऋण, यह तथ्य है कि, परिचालन ऋणों में आम तौर पर, जब कोई व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करता है, तो ऐसा व्यक्ति होता है लेनदार और जिस व्यक्ति को ऐसी वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान करना पड़ता है, वह ऋणी होता है। अचल संपत्ति डेवलपर्स के मामले में,

डेवलपर जो फ्लैट/अपार्टमेंट का आपूर्तिकर्ता है, ऋणी है क्योंकि घर खरीदार/आबंटित व्यक्ति अग्रिम राशि का भुगतान करके अपने अपार्टमेंट के लिए धन देता है।

उस भवन के निर्माण के लिए विकासकर्ता जिसमें उसका अपार्टमेंट मिलना है। एक और महत्वपूर्ण अंतर

परिचालन ऋण और अचल संपत्ति परियोजनाओं के आवंटनकर्ताओं का कहना है कि एक परिचालन लेनदार का कॉर्पोरेट देनदार में कोई हित या हिस्सेदारी नहीं है, जैसा कि एक अचल संपत्ति के आवंटनकर्ता के मामले में होता है।

संपत्ति परियोजना, जो कॉर्पोरेट देनदार की वित्तीय स्थिति के बारे में बहुत चिंतित है, अन्यथा, अचल संपत्ति परियोजना को सफल नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, ऐसी स्थिति में, न तो कोई मुआवजा, और न ही ब्याज के साथ धनवापसी, जो कि दूसरा विकल्प है, कॉर्पोरेट देनदार से वसूली योग्य होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण अंतर यह है कि एक परिचालन ऋण में,

महत्वपूर्ण परियोजनाओं और पूंजीगत वस्तुओं के लिए बनाया गया, जहाँ ऐसी वस्तुओं का अनुकूलन और विशिष्टता महत्वपूर्ण है।

जिनके कारण अग्रिम भुगतान किए जाते हैं, उदाहरण के लिए आबंटियों द्वारा किए गए अग्रिम भुगतान की तुलना में पूरी तरह से अनुपयुक्त हैं। अचल संपत्ति परियोजनाओं में, आवंटनकर्ता से धन जुटाया जाता है, जिसे धन के समय मूल्य के लिए विचार के विरुद्ध जुटाया जाता है। यहां तक कि कुल विचार भी उस समय सहमत हुआ जब समेकित निर्माण कंसोर्टियम लिमिटेड।

वी. मेसर्स हीरो आरजी सॉल्यूशंस पी. वी. टी. लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

फ्लैट/अपार्टमेंट गैर-मौजूद या अधूरा है, काफी कम है

उस कीमत की तुलना में जो खरीदार को तैयार/पूर्ण के लिए चुकानी होगी

फ्लैट/अपार्टमेंट, और इसलिए, वह पैसे का समय मूल्य प्राप्त करता है।

इसी तरह, वह विकासकर्ता जो वितरित राशि से लाभान्वित होता है

धन के समय मूल्य से भी लाभ होता है। तथ्य यह है कि आवंटनकर्ता

ऐसे भुगतान किश्तों में करता है जो सह-समाप्त होते हैं अचल संपत्ति परियोजना के पूरा होने के चरणों में कोई

कम ऐसे भुगतान करते हैं जिनमें "विनिमय" शामिल होता है अर्थात। केवल फ्लैट/अपार्टमेंट प्राप्त करने के लिए अग्रिम भुगतान किया जाता है। क्या है?

तथ्य यह है कि इस तरह के किश्त भुगतान का उपयोग एक साधन के रूप में किया जाता है अचल संपत्ति परियोजना के लिए वित्त। एक और महत्वपूर्ण अंतर

परिचालन ऋणों के साथ यह तथ्य है कि वृत्तचित्र वास्तविक द्वारा देय और देय राशियों के लिए साक्ष्य

एस्टेट डेवलपर जानकारी के रूप में है

अनिवार्य रूप से रियल एस्टेट डेवलपर द्वारा प्रदान किया गया

संहिता के तहत सूचना उपयोगिताएँ, इसे आसान बनाती हैं धारा 7 के तहत घर खरीदार/आवंटनकर्ता एन. सी. एल. टी. से संपर्क करेंगे

अचल संपत्ति पर कोड को ट्रिगर करने के लिए कोड

डेवलपर की अपनी जानकारी उसके वेबपेज पर दी गई है

निर्माण आदि में देरी। ये हैं बुनियादी बातें

अचल संपत्ति विकासकर्ता और के बीच अंतर

वस्तुओं और सेवाओं का आपूर्तिकर्ता जो विधायिका के पास है

अचल संपत्ति डेवलपर्स पर ध्यान केंद्रित किया और शामिल किया गया

वित्तीय देनदारियाँ। यह मामला होने के कारण, यह स्पष्ट है कि ऐसा नहीं हो सकता है

इसे कानूनों के समान संरक्षण का कोई भी उल्लंघन कहा जाएगा।

(जोर दिया गया)

35. इन इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम आईसीआईसीआई बैंक 24, एक दो

इस न्यायालय की पीठ ने इस संबंध में आई. बी. सी. के ढांचे की व्याख्या की।

परिचालन लेनदार सी. आई. आर. पी. को सक्रिय करता है। न्यायालय ने कहाः

" 29. धारा 7 की योजना योजना के विपरीत है। धारा 8 के तहत जहां एक परिचालन लेनदार घटना पर है

एक चूक का, पहले भुगतान न किए गए ऋण की मांग सूचना देने के लिए

धारा 8 (1) में प्रदत्त तरीके से प्रचालन देनदार

कोड। धारा 8 (2) के तहत, निगमित देनदार कर सकता है

मांग सूचना या उप-धारा (1) में उल्लिखित चालान की प्रति की प्राप्ति के 10 दिनों की अवधि, परिचालन लेनदार के ध्यान में किसी विवाद का अस्तित्व या विवाद का रिकॉर्ड लाए। किसी वाद या मध्यस्थता कार्यवाही की विचाराधीनता, जो पूर्व है

विद्यमान - अर्थात। निगमित देनदार द्वारा इस तरह की सूचना या चालान प्राप्त होने से पहले। जिस क्षण इस तरह के विवाद का अस्तित्व होता है,

परिचालन लेनदार संहिता के चंगुल से बाहर निकल जाता है।

36. मोबिलॉक्स इनोवेशन्स (पी) लिमिटेड बनाम कीरूसा सॉफ्टवेयर (पी)

5 (" मोबिलॉक्स इनोवेशन्स), इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में सी. आई. आर. पी. शुरू करने वाले एक परिचालन लेनदार के लिए प्रक्रिया शुरू की। न्यायालय ने कहाः

" 33. संहिता की धारा 8 और 9 के तहत योजना, प्रतीत होती है

ऐसा हो कि एक परिचालन लेनदार, जैसा कि परिभाषित किया गया है, एक चूक की घटना पर (यानी ऋण का भुगतान न करने पर, कोई भी हिस्सा जिसके पास है) देय और देय हो गया है और चुकाया नहीं गया है), एक वितरित करें

ऐसे अवैतनिक परिचालन ऋण की सूचना की मांग करें या निगम को ऐसी राशि के भुगतान की मांग करने वाले चालान की प्रति वितरित करें।

दिवाला के नियम 5 में निर्धारित रूप में देनदार और

फॉर्म 3 या 4 के साथ पढ़ें, जैसा भी मामला हो [धारा 8 (1)]। ऐसी मांग सूचना या प्रति की प्राप्ति के 10 दिनों की अवधि के भीतर चालान के संबंध में, निगमित देनदार को किसी विवाद के अस्तित्व और/या ऐसे विवाद [धारा 8 (2) (ए)] के संबंध में ऐसी सूचना या चालान की प्राप्ति से पहले दायर किए गए मुकदमे या मध्यस्थता कार्यवाही के लंबित होने का रिकॉर्ड परिचालन लेनदार के ध्यान में लाना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि विवाद और/या वाद या मध्यस्थता कार्यवाही का अस्तित्व पहले से मौजूद होना चाहिए अर्थात।

यह मांग सूचना या चालान की प्राप्ति से पहले मौजूद होना चाहिए, जैसा भी मामला हो। यदि भुगतान न किए गए परिचालन ऋण का भुगतान कर दिया गया है, तो निगमित देनदार उसी अवधि के भीतर करेगा।

10 दिन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की एक सत्यापित प्रति भेजें

बैंक खाते से अवैतनिक राशि का हस्तांतरण

निगमित देनदार या रिकॉर्ड की एक सत्यापित प्रति भेजें कि परिचालन लेनदार ने एक चेक को भुनाया है या अन्यथा निगमित देनदार से भुगतान प्राप्त किया है [धारा 8 (2) (बी)]। यह केवल तभी है जब उक्त 10 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद, परिचालन

8) 1 एस. सी. सी. 353 समेकित निर्माण कंसोर्टियम लिमिटेड। वी. मेसर्स हीरो आरजी सॉल्यूशंस पी. वी. टी. लिमिटेड। [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे।]

धारा 9 (1) और 9 (2) के तहत प्राधिकरण। यह आवेदन दिवाला और दिवालियापन (आवेदन) के नियम 6 के तहत दायर किया जाना है। निर्णय प्राधिकरण) नियम, 2016 प्रपत्र 5 में, उन दस्तावेजों और अभिलेखों के साथ जो उक्त प्रपत्र के तहत आवश्यक हैं। नियम 6 (2) के तहत, आवेदक को पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदन की एक प्रति पंजीकृत कार्यालय को भेजनी होती है।

निगमित ऋणी। धारा 9 (3) के तहत, आवेदन के साथ, वैधानिक आवश्यकता चालान की एक प्रति प्रस्तुत करना है या

मांग सूचना, इस आशय का एक शपथ पत्र कि कॉर्पोरेट देनदार द्वारा अवैतनिक परिचालन ऋण के विवाद के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है और परिचालन लेनदार के खातों को बनाए रखने वाले वित्तीय संस्थान से प्रमाण पत्र की एक प्रति

यह पुष्टि करते हुए कि कॉर्पोरेट देनदार द्वारा अवैतनिक परिचालन ऋण का कोई भुगतान नहीं किया गया है। इस जानकारी के अलावा, अन्य

फॉर्म 5 के तहत आवश्यक जानकारी भी दी जानी है। एक बार ऐसा करने के बाद, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी या तो आवेदन को स्वीकार कर सकता है या इसे अस्वीकार कर सकता है। यदि उप-धारा (2) के तहत किया गया आवेदन अधूरा है, तो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, उप-धारा (5) के परंतुक के तहत, न्यायनिर्णायक से नोटिस प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर दोषों को सुधारने के लिए आवेदक को नोटिस दे सकता है।

आवेदन को पूरा करने का अधिकार। एक बार ऐसा करने के बाद, और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को पता चलता है कि या तो चालान [धारा 9 (5) (i) (b)] के बाद अवैतनिक परिचालन ऋण का कोई पुनर्भुगतान नहीं है या चालान या कॉर्पोरेट देनदार को भुगतान की सूचना है। प्रचालन लेनदार [धारा 9 (5) (i) (c)] द्वारा दिया गया है, या प्रचालनकर्ता द्वारा विवाद की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

निगमित देनदार से लेनदार या सूचना उपयोगिता [धारा 9 (5) (i) (d)] में इस तरह के विवाद का कोई रिकॉर्ड नहीं है, या कि किसी भी समाधान के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है।

प्रचालन लेनदार [धारा 9 (5) (i) (e)] द्वारा प्रस्तावित पेशेवर, आवेदन की प्राप्ति के 14 दिनों के भीतर आवेदन स्वीकार करेगा, जिसके बाद निगमित दिवाला संकल्प

प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दूसरी ओर, न्यायनिर्णायक

प्राधिकरण, परिचालन लेनदार द्वारा आवेदन प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर, ऐसे आवेदन को अस्वीकार कर देगा यदि आवेदन अधूरा है और 7 [2022] 2 एस. सी. आर. की अवधि के भीतर पूरा नहीं किया गया है।

परंतुक [धारा 9 (5) (ii) (क)] द्वारा दिए गए दिन। यह अस्वीकार भी कर सकता है।

आवेदन जहां परिचालन का पुनर्भुगतान किया गया है

निगमित देनदार को भुगतान के लिए चालान या सूचना [अनुभाग 9 (5) ((ग)]। यह आवेदन को अस्वीकार भी कर सकता है यदि परिचालन लेनदार को विवाद का नोटिस प्राप्त हुआ है या कोई रिकॉर्ड है।

सूचना उपयोगिता में विवाद [धारा 9 (5) (ii) (घ)]। धारा 9 (5) (ii) (d) किसी मौजूदा विवाद की सूचना को संदर्भित करती है जो इस प्रकार प्राप्त हुई है, क्योंकि इसे धारा 8 (2) (a) के साथ पढ़ा जाना चाहिए। इसके अलावा, अगर

किसी भी प्रस्तावित के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है।

समाधान पेशेवर, आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है [अनुभाग 9 (5) ((ii) (ई)] "।

इसमें आगे कहा गया है कि जब किसी कॉर्पोरेट को नोटिस प्राप्त होता है

आर धारा 8 (2) के तहत, यह पर्याप्त है कि एक विवाद लंबित है और यह अनिवार्य है कि एक मुकदमा/मध्यस्थता भी लंबित हैः

" 38. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जहां तक एक परिचालन लेनदार का संबंध है,

संबंधित, एक अवैतनिक परिचालन ऋण या प्रति की मांग सूचना

मांग सूचना की प्राप्ति से 10 दिनों की अवधि दी गई है या संचालन के ध्यान में लाने के लिए चालान की प्रति

लेनदार एक विवाद का अस्तित्व, यदि कोई हो। हमने यह भी देखा है कि

यदि वे पहले से ही किसी वाद या मध्यस्थता कार्यवाही में लंबित हैं और अन्यथा नहीं। इससे बहुत कठिनाई होगी; उस विवाद में

दिवाला प्रक्रिया शुरू होने से कुछ दिन पहले उत्पन्न हो सकता है,

जिस मामले में, हालांकि एक विवाद मौजूद हो सकता है, कोई समय नहीं है

तथ्य यह है कि लंबी सीमा अवधि की अनुमति है, जहां विवाद हो सकते हैं उत्पन्न होते हैं और किसी मध्यस्थ न्यायाधिकरण या अदालत तक नहीं पहुँचते हैं

तीन वर्ष के लिए ऐसे व्यक्ति धारा के दायरे से बाहर होंगे।

8 (2) जिससे उनके खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही शुरू हो जाती है। इस तरह की विसंगति संभवतः मैसर्स कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्टियम लिमिटेड द्वारा अभिप्रेत नहीं हो सकती है।

वी. एम/एस हीरो

ऊर्जा समाधान पीवीटी। लिमिटेड। [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे।]

न ही विधायिका का ऐसा इरादा रहा है। हमने यह भी देखा है कि

वित्तीय ऋणों से कम, सक्षम नहीं करता है निगमित देनदार को इसमें डालने के लिए परिचालन लेनदार

दिवाला समाधान प्रक्रिया समय से पहले या शुरू करें बाहरी विचारों के लिए प्रक्रिया। यही कारण है कि

कि यह पर्याप्त है कि पक्षों के बीच विवाद मौजूद है।

(जोर दिया गया)

न्यायालय के इस अवलोकन के कारण आई. बी. सी. में संशोधन किया गया

2018 के अधिनियम 26 के माध्यम से।

37. मोबिलॉक्स नवाचार में न्यायालय का अंतिम अवलोकन

(उपर्युक्त) को इस न्यायालय की दो अन्य न्यायाधीशों की पीठ ने के बोवेट एंग में भी दोहराया है। लिमिटेड वी. ओवरसीज इन्फ्रास्ट्रक्चर एलायंस (इंडिया) (पी) Ltd.²6 26 ("के बोवेट"), जहाँ न्यायालय ने टिप्पणी कीः

" 19. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि आई. बी. सी. क्यू. ए. परिचालन ऋण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राशि

परिचालन लेनदारों को कॉर्पोरेट देनदार डालने में सक्षम नहीं बनाता है दिवाला समाधान प्रक्रिया में समय से पहले या शुरू करें

बाहरी विचारों के लिए प्रक्रिया। यह माना गया है कि

इस कारण से कि यह पर्याप्त है कि दोनों के बीच विवाद मौजूद है

पार्टियाँ "।

38. मोबिलॉक्स इनोवेशन्स (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय

और के बोवेट (ऊपर) अपनी चिंता को उजागर करते हैं कि परिचालन लेनदार ऋण की छोटी राशि के लिए कॉर्पोरेट देनदारों के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू कर सकते हैं, जो बदले में कॉर्पोरेट देनदार के वित्तीय स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकता है। वास्तव में, स्विस रिबन (ऊपर) में, इस न्यायालय ने कहा कि आई. बी. सी. लेनदारों के लिए वसूली कानून के समान नहीं था, बल्कि कॉर्पोरेट देनदार के लिए फायदेमंद कानून हैः

" 28. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि कानून का प्राथमिक ध्यान है -

निगमित देनदार का पुनरुद्धार और निरंतरता सुनिश्चित करना

निगमित देनदार को उसके अपने प्रबंधन से बचाना और

परिसमापन द्वारा एक निगमित मृत्यु से। कोड इस प्रकार एक है लाभकारी कानून जो निगमित देनदार को वापस लाता है

अपने पैरों पर, न कि केवल वसूली कानून होने के लिए लेनदार। अतः निगमित देनदार के हितों में निम्नलिखित शामिल हैं -

द्विभाजित किया गया और अपने प्रवर्तकों से अलग किया गया जो प्रबंधन में हैं। इस प्रकार समाधान प्रक्रिया नहीं है

रुचियाँ। धारा 14 द्वारा लगाई गई रोक हित में है। स्वयं निगमित देनदार की, जिससे परिसंपत्तियों का संरक्षण होता है

समाधान प्रक्रिया के दौरान निगमित देनदार। भीतर की समयसीमाएँ

जिसे समाधान प्रक्रिया फिर से होनी है, उसकी रक्षा करता है

इसके सभी लेनदारों और श्रमिकों को यह देखकर कि समाधान प्रक्रिया जितनी जल्दी हो सके गुजरता है ताकि कोई अन्य प्रबंधन कर सके,

अपने उद्यमशीलता कौशल के माध्यम से, कॉर्पोरेट देनदार को पुनर्जीवित करें

इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए।

(जोर दिया गया)

डी. 4 विश्लेषण

39. वर्तमान मामले में कुछ निर्विवाद तथ्य हैं: ((i)

अपीलार्थी और प्रोपराइटरी कंसर्न ने लाइट फिटिंग्स की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध किया, क्योंकि अपीलार्थी को सीएमआरएल द्वारा एक परियोजना के लिए नियुक्त किया गया था; (ii) अपीलार्थी की ओर से सीएमआरएल ने अपीलार्थी के साथ अपने आदेश पर अग्रिम के रूप में प्रोपराइटरी कंसर्न को 50 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया; (iii) सीएमआरएल ने अपीलार्थी के साथ अपनी परियोजना को रद्द कर दिया; (iv) प्रोपराइटरी कंसर्न ने वैसे भी 50 लाख रुपये का चेक भुनाया; और (v) अपीलार्थी ने सीएमआरएल को 50 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया।

40. इस संबंध में कुछ तथ्यात्मक विवाद है कि क्या

अपीलार्थी का 23 जुलाई 2016 का पत्र। वर्तमान उद्देश्यों के लिए अपील, इस विवाद को हल करना अनावश्यक है। प्रोपराइटरी कंसर्न ने लगातार कहा है कि अगर सीएमआरएल उनसे सीधे संपर्क करता है तो वे 50 लाख रुपये की राशि वापस करने को तैयार होंगे। इस प्रकार, अपीलार्थी के व्यवहार के प्रति उनका स्पष्ट असंतोष धनवापसी से उत्पन्न ऋण में कोई भूमिका नहीं निभाता है।

41. अब हमें वर्तमान अपील में 'ऋण' पर विचार करना होगा।

अपीलार्थी के अनुसार, यह मेसर्स कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्टियम लिमिटेड पर किया गया अग्रिम भुगतान सीएमआरएल है।

वी. मेसर्स हीरो एनर्जी सॉल्यूशंस पी. वी. टी. लिमिटेड। [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे।]

प्रोपराइटरी कंसर्न के लिए उनकी ओर से, जिसे सीएमआरएल और अपीलार्थी के बीच की परियोजना को समाप्त करने के बावजूद भुनाया गया था। दूसरी ओर, प्रत्यर्थी ने यह आग्रह करने का प्रयास किया है कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच अनुबंध की कोई गोपनीयता नहीं थी, और सीएमआरएल ने अपीलार्थी को ऋण हस्तांतरित नहीं किया था। हम इन दोनों दलीलों को खारिज करते हैं। यह तथ्यों से पूरी तरह से स्पष्ट है कि ऋण अपीलार्थी और स्वामित्व संबंधित (जो अंतर्निहित अनुबंध है) के बीच खरीद आदेशों से उत्पन्न होता है, भले ही सीएमआरएल ने अपीलार्थी की ओर से भुगतान किया हो। इस प्रकार, अंतिम विवाद अभी भी अपीलार्थी और प्रोपराइटरी कंसर्न के बीच बना हुआ है और ऋण उसी से उत्पन्न होता है।

42. यह तब है जब हम विवाद के मूल पर आते हैं-जबकि अपीलार्थी ने तर्क दिया है कि ऋण एक परिचालन ऋण की प्रकृति में है जो उन्हें एक परिचालन लेनदार बनाता है, प्रतिवादी ने विरोध किया है

यह प्रस्तुति। प्रत्यर्थी की प्रस्तुति, जिसे एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा स्वीकार किया गया था, आई. बी. सी. के तहत परिचालन ऋण और परिचालन ऋणदाताओं को संकीर्ण रूप से परिभाषित करने का प्रयास करता है, जिसमें केवल वे लोग शामिल होते हैं जो एक कॉर्पोरेट देनदार को वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति करते हैं और उन लोगों को बाहर करते हैं जो कॉर्पोरेट देनदार से सामान या सेवाएं प्राप्त करते हैं। आने वाले कारणों से हम इसे अस्वीकार करते हैं।

तर्क। 43 सबसे पहले, धारा 5 (21) 'परिचालन ऋण' को "वस्तुओं या सेवाओं के प्रावधान के संबंध में दावा" के रूप में परिभाषित करती है। ऑपरेटिव आवश्यकता

यह है कि दावे में यह निर्दिष्ट किए बिना कि आपूर्तिकर्ता या प्राप्तकर्ता कौन होना है, वस्तुओं या सेवाओं के प्रावधान के साथ कुछ संबंध होना चाहिए। इस तरह की व्याख्या बी. एल. आर. सी. में टिप्पणियों द्वारा भी समर्थित है।

रिपोर्ट, जो निर्दिष्ट करती है कि परिचालन ऋण एक इकाई की परिचालन आवश्यकताओं के संबंध में है। दूसरा, आई. बी. सी. की धारा 8 (1)

2016 के आवेदन नियमों के नियम 5 (1) और फॉर्म 3 में यह स्पष्ट किया गया है कि एक परिचालन लेनदार मांग सूचना या चालान के माध्यम से परिचालन ऋण के संबंध में नोटिस जारी कर सकता है। इस प्रकार, एक चालान की उपस्थिति (आपूर्ति की गई वस्तुओं या सेवाओं के लिए) अनिवार्य नहीं है, क्योंकि इस आधार पर एक मांग सूचना भी जारी की जा सकती है -

अन्य दस्तावेज जो ऋण के अस्तित्व को साबित करते हैं। ऐसा किया जाता है।

सी. आई. आर. पी. विनियम 2016 के विनियम 7 (2) (बी) (आई) और (आई) द्वारा और भी अधिक स्पष्ट है जो एक परिचालन लेनदार प्रदान करता है, जो एक सी. आई. आर. पी. में परिचालन ऋण, कॉर्पोरेट देनदार के साथ वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए अनुबंध पर भरोसा करने या कॉर्पोरेट [2022] 2 एस. सी. आर. को आपूर्ति की गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान की मांग करने वाले चालान के बीच एक विकल्प।

ऋणी। जबकि बाद वाला इंगित करता है कि परिचालन लेनदार को कॉर्पोरेट देनदार को वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति करनी चाहिए थी, पहला इतना व्यापक है कि इसमें परिचालन लेनदार और कॉर्पोरेट देनदार के बीच वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए सभी प्रकार के अनुबंध शामिल हैं। इनमें वे भी शामिल हैं जहां परिचालन लेनदार कॉर्पोरेट देनदार से वस्तुओं या सेवाओं का प्राप्तकर्ता हो सकता है। अंत में, पायनियर अर्बन (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसले में, अचल संपत्ति परियोजनाओं में आवंटनकर्ताओं की परिचालन लेनदारों से तुलना करते हुए, यह उल्लेख किया गया है कि बाद वाले को उनके धन का कोई समय मूल्य विचार के रूप में नहीं मिलता है, बल्कि वे इसे केवल वस्तुओं या सेवाओं के बदले में प्रदान करते हैं। वास्तव में, निर्णय में कहा गया है कि "महत्वपूर्ण परियोजनाओं और पूंजीगत वस्तुओं के लिए किए जा रहे अग्रिम भुगतान के उदाहरण, जहां ऐसी वस्तुओं का अनुकूलन और विशिष्टता महत्वपूर्ण है, जिसके कारण अग्रिम भुगतान किए जाते हैं, आवंटनकर्ताओं द्वारा किए गए अग्रिम भुगतान के उदाहरण के रूप में पूरी तरह से अनुपयुक्त हैं।" इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक ऋण जो वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के लिए एक कॉर्पोरेट देनदार को किए गए अग्रिम भुगतान से उत्पन्न होता है, उसे परिचालन ऋण माना जाएगा।

44. फीनिक्स एआरसी (पी) लिमिटेड बनाम। स्पेड वित्तीय सेवाएँ

Ltd.27, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने उद्देश्यपूर्ण रूप से आई. बी. सी. की धारा 21 (2) की व्याख्या की ताकि यह समझा जा सके कि किसे सी. ओ. सी. से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि वे एक "संबंधित पक्ष" हैं। न्यायालय ने कहाः

" 99. श्री विश्वनाथन के प्रस्तुतिकरण को स्वीकार करने से सांविधिक प्रावधान को एक निगमित देनदार के संबंधित पक्ष द्वारा विफल करने की अनुमति मिलेगी, जिससे वाणिज्यिक समझौते किए जा सकते हैं। सी . आई. आर. पी. शुरू होने तक एक संबंधित पक्ष के रूप में इसकी स्थिति को अस्वीकार करने का प्रभाव। यह निर्धारित करने के लिए कि धारा 21 (2) के पहले परंतुक में अपवर्जन लागू होता है या नहीं, सही परीक्षण को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए जो क़ानून के उद्देश्य और उद्देश्य को आगे बढ़ाएगा और इसके प्रावधानों को विफल नहीं करेगा।

कपटपूर्ण रणनीतियों द्वारा।

[.....]

104. इसलिए, जबकि धारा 21 (2) के पहले परंतुक के तहत डिफ़ॉल्ट नियम यह है कि केवल उन वित्तीय लेनदारों को सी. ओ. सी. से वंचित किया जाएगा जो व्यवहार में संबंधित पक्ष हैं, वे संबंधित पक्ष वित्तीय लेनदार जो धारा 21 (2) के पहले परंतुक के तहत बहिष्करण को दरकिनार करने के लिए संबंधित पक्ष नहीं हैं।

यह भी माना जाना चाहिए कि इसके तहत अपवर्जन के दायरे में आता है। श्री कौल ने हमारी राय में सही तर्क दिया है कि यदि यह व्याख्या धारा 21 (2) के पहले प्रावधान को नहीं दी गई है, तो एक संबंधित पक्ष वित्तीय लेनदार कॉर्पोरेट देनदार के सी. आई. आर. पी. से गुजरने से पहले "संबंधित पक्ष" के अपने लेबल को हटाने के लिए एक तंत्र तैयार कर सकता है, ताकि सी. ओ. सी. में प्रवेश करने और प्रभाव डालने में सक्षम हो सके।

अन्य वित्तीय लेनदारों की कीमत पर इसका निर्णय लेना।

इस प्रकार, न्यायालय ने क़ानून के पाठ और उस उद्देश्य के बीच संतुलन बनाया जिसे वह संबंधित उद्देश्यों को छोड़कर प्राप्त करना चाहता था।

पार्टी वित्तीय लेनदार जो केवल धारा 21 (2) के पहले परंतुक के तहत बहिष्करण को दरकिनार करने के लिए संबंधित पक्ष होना बंद कर देते हैं।

45. इसी तरह, वर्तमान मामले में, धारा 5 (21) के संबंध में वाक्यांश की व्याख्या व्यापक और उद्देश्यपूर्ण तरीके से की जानी चाहिए ताकि उन सभी को शामिल किया जा सके जो परिचालन सेवाएं प्रदान करते हैं या प्राप्त करते हैं। निगमित देनदार से, जो अंततः एक परिचालन ऋण की ओर ले जाता है। वर्तमान मामले में, अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से प्रोपराइटरी कंसर्न से एक परिचालन सेवा की मांग की जब उसने प्रकाश फिटिंग की आपूर्ति के लिए उनके साथ अनुबंध किया। इसके अलावा, जब अनुबंध समाप्त कर दिया गया था लेकिन

प्रोपराइटरी कंसर्न ने फिर भी अग्रिम के लिए चेक को भुनाया

भुगतान, इसने अपीलार्थी के पक्ष में एक परिचालन ऋण को जन्म दिया,

जो अब अवैतनिक है। इसलिए, अपीलार्थी आई. बी. सी. की धारा 5 (20) के तहत एक परिचालन लेनदार है।

46. ऐसा करते हुए हम इस न्यायालय की टिप्पणियों से अवगत हैं

स्विस रिबन (ऊपर) जैसे निर्णयों में, कि आई. बी. सी. की कार्यवाही वसूली की कार्यवाही नहीं बननी चाहिए। हालाँकि, वर्तमान मामले में, विवाद प्रोपराइटरी कंसर्न द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता के संबंध में नहीं है, बल्कि पूरी तरह से अंतर्निहित परियोजना के रद्द होने पर उन्हें भुगतान की गई अग्रिम राशि के पुनर्भुगतान के बारे में है।

ई प्रत्यर्थी के एम. ओ. ए. का प्रमाणिक मूल्य

47. यह स्थापित करने के बाद कि अपीलार्थी एक परिचालन लेनदार है, हमें अब यह विश्लेषण करना चाहिए कि क्या अपीलार्थी का ऋण वास्तव में हो सकता है।

प्रत्यर्थी से प्राप्त किया जाए। वर्तमान मामले में, यह निर्विवाद है कि अपीलार्थी ने प्रोपराइटरी कंसर्न के साथ एक अनुबंध किया और अंत तक उनके साथ संचार जारी रखा, अंत में प्रतिवादी को आई. बी. सी. की धारा 8 (1) के तहत अपना नोटिस भेजा।

48. विवाद प्रतिवादी के 24 जनवरी 2014 के एम. ओ. ए. के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसमें कहा गया हैः

" ((क) कंपनी के मुख्य उद्देश्य अपने निगम पर कंपनी द्वारा उद्देश्यितः

[.....]

4. मौजूदा स्वामित्व फर्म विज़ का अधिग्रहण करना। एम/एस। हिटरो

एनर्जी सॉल्यूशंस का पंजीकृत कार्यालय चेन्नई में है। एन. सी. एल. टी. ने इसे निर्विवाद प्रमाण के रूप में समझा कि

प्रासंगिक जानकारी जो एक एम. ओ. ए. प्रदान करेगा, जिसमें उपखंड (सी) शामिल है, कि उसे "वे उद्देश्य प्रदान करने चाहिए जिनके लिए कंपनी इसे शामिल करने का प्रस्ताव है और इसे आगे बढ़ाने के लिए कोई भी मामला आवश्यक माना जाता है।

50. सी. ए. 2013 की धारा 10 (1) निम्नलिखित शब्दों में एम. ओ. ए. के कानूनी प्रभाव को स्पष्ट करती हैः

" 10. ज्ञापन और लेखों का प्रभाव। (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, ज्ञापन और लेख, पंजीकृत होने पर, कंपनी और उसके सदस्यों को उसी हद तक बाध्य करेंगे जैसे कि उन पर क्रमशः कंपनी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।

और प्रत्येक सदस्य द्वारा, और ज्ञापन के सभी प्रावधानों का पालन करने के लिए अपनी और अपनी ओर से समझौतों को शामिल किया

लेख "।

51. इसके अलावा, धारा 13 एक एम. ओ. ए. के परिवर्तन के लिए आवश्यकताओं का प्रावधान करती है। धारा 13 के प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैं:

" 13. ज्ञापन में परिवर्तन। — (1) धारा 61 में दिए गए प्रावधान को छोड़कर, एक कंपनी, एक विशेष संकल्प द्वारा और इस धारा में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करने के बाद,

इसके ज्ञापन के प्रावधान।

[.....]

(6) धारा 64 में दिए गए प्रावधान को छोड़कर, एक कंपनी अपने ज्ञापन में किसी भी बदलाव के संबंध में, पंजीयक के पास फाइल करेगी।

28 " सीए 2013 "मेसर्स कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्टियम लिमिटेड। वी. मेसर्स हीरो एनर्जी सॉल्यूशंस पी. वी. टी. लिमिटेड। [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे।]

(क) कंपनी द्वारा उप-धारा के तहत पारित विशेष प्रस्ताव

(1) ;

(ख) उप-धारा (2) के तहत केंद्र सरकार का अनुमोदन, यदि परिवर्तन में नाम में कोई परिवर्तन शामिल है।

कंपनी।

(9) पंजीयक कंपनी के उद्देश्यों के संबंध में ज्ञापन के किसी भी परिवर्तन को पंजीकृत करेगा और प्रमाणित करेगा उप-धारा के खंड (ए) के अनुसार विशेष प्रस्ताव दाखिल करने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर पंजीकरण

(6) इस खंड से।

(10) इस धारा के तहत किए गए किसी भी परिवर्तन का तब तक कोई प्रभाव नहीं होगा जब तक कि इसे निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत नहीं किया जाता हैः

इस खंड में।

[.....] ”

इस प्रकार, अपने उद्देश्यों के संबंध में किसी कंपनी के एम. ओ. ए. में परिवर्तन के लिए, पहले धारा 13 (1) के तहत एक विशेष प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। इसके बाद इसे धारा के अनुसार पंजीयक के पास दाखिल करना होता है।

13 (6) (ए)। इसके अलावा, धारा 13 (9) के तहत, जब एम. ओ. ए. के उद्देश्यों में परिवर्तन किया जाता है, तो पंजीयक इसे पंजीकृत करेगा और इसके भीतर इसे प्रमाणित करेगा।

विशेष प्रस्ताव दाखिल करने से तीस दिनों की अवधि

धारा 13 (6) (ए) के अनुसार। अंत में, धारा 13 (10) में प्रावधान है कि धारा के तहत किया गया कोई भी परिवर्तन तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि धारा के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत।

52. कंपनी का एम. ओ. ए. उसका चार्टर होता है और उस उद्देश्य की रूपरेखा तैयार करता है जिसके लिए कंपनी बनाई गई है। इनमें से कुछ उद्देश्यों/उद्देश्यों को सीए 2013 की धारा 4 (1) (सी) के अनुसार एमओए में रखा जाना चाहिए। ए रमैया गाइड टू द के 19 वें संस्करण में

कंपनी अधिनियम, यह कहा गया है 2 9:

" [एस 4.2। 3] जिन उद्देश्यों के लिए कंपनी को निगमित करने का प्रस्ताव है और कोई भी मामला जिसके लिए आवश्यक माना जाता है

अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाना

[.....]

29 (लेक्सिसनेक्सिस, 2020)

यह ध्यान रखना उचित है कि धारा 4 (1) (सी) 'उन उद्देश्यों के बारे में बात करती है जिनके लिए कंपनी को निगमित करने का प्रस्ताव है'। इसका तात्पर्य है

कि कंपनी अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने पर भी विचार करती है

निगमन के तुरंत बाद या उचित समय के भीतर। यह सत्यापित करना पंजीयक का कर्तव्य है कि क्या मसौदा ज्ञापन में शामिल उद्देश्य वास्तव में वे हैं जिन्हें कंपनी निगमन पर आगे बढ़ाने का प्रस्ताव करती है। उसे संतुष्ट होना चाहिए।

स्वयं दस्तावेजों/सूचनाओं को सत्यापित करके इस अंक पर

कंपनी द्वारा प्रदान किया गया "।

एम. ओ. ए. में उद्देश्य खंड को कंपनी के उद्देश्य का प्रतिनिधि माना जाता है और यह उम्मीद की जाती है कि कंपनी अपने एम. ओ. ए. में निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करेगी/पूरा करने का प्रयास करेगी।

53. वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी का एम. ओ. ए. स्पष्ट रूप से कहता है कि इसका एक मुख्य उद्देश्य स्वामित्व संबंधी चिंता को संभालना है। हालाँकि, प्रत्यर्थी ने 1 सितंबर 2014 को अपने निदेशक मंडल द्वारा पारित एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें कथित रूप से स्वामित्व संबंधी चिंता को नहीं लेने का संकल्प लिया गया है। प्रस्ताव में कहा गया हैः

“ पारित समाधान की प्रमाणित सत्य प्रति

निदेशक मंडल की बैठक में आयोजित

10.00 1 सितंबर 2014 को पंजीकृत

चेन्नई में कंपनी का कार्यालय।

" यह तय किया कि कंपनी ने इसे नहीं लेने का फैसला किया है

स्वामित्व संबंधी चिंता पर एम/S.HITRO ऊर्जा मुख्य उद्देश्यों के खंड 4 में परिकल्पित समाधान

कंपनी के संघों का ज्ञापन "। " " "

प्रस्ताव के समर्थन में, प्रतिवादी ने प्रोपराइटरी कंसर्न, इंडियन बैंक के बैंकर से एक प्रमाणन भी प्रस्तुत किया है।

10 अप्रैल 2018 को मायलापुर शाखा और 27 अप्रैल 2018 को प्रोपराइटरी कंसर्न के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, के. आर. सारंगपाणि एंड कंपनी से।

54. मान लीजिए, 18 जनवरी 2018 के जवाबी बयान और अतिरिक्त जवाबी में प्रस्ताव का कोई संदर्भ नहीं था।

प्रत्यर्थी द्वारा एन. सी. एल. टी. के समक्ष 9 मार्च 2018 को दाखिल किया गया बयान। हालाँकि, एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष दायर अपनी अपील में, प्रतिवादी कहता है कि प्रस्ताव, वास्तव में, एन. सी. एल. टी. के ध्यान में लाया गया थाः

मेसर्स कन्सोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्टियम लिमिटेड। वी. मेसर्स हीरो एनर्जी सॉल्यूशंस पी. वी. टी. लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, जे।]

" (xii)। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मेसर्स का एक बोर्ड संकल्प डीटी 01.09.2014। ऑडिटर के साथ मिलकर हिट्रो एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

दिनांकित 01.09.2014 प्रमाण पत्र को भी अभिलेख पर रखा गया था और लर्नड एन. सी. एल. टी. ट्रिब्यूनल, चेन्नई के ध्यान और नोटिस में लाया गया था जिसमें यह हल किया गया था कि मेसर्स एसोसिएशन के ज्ञापन का खंड 4। हिट्रो एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड यानी मौजूदा स्वामित्व वाली कंपनी यानी एम/एस को अपने हाथ में लेगी। हित्रो एनर्जी सॉल्यूशंस को मैसर्स नाम की स्वामित्व संबंधी चिंता को लागू नहीं किया जाएगा। हिटरो एनर्जी सॉल्यूशंस जारी रहेगा। अतः एम/एस। हिटरो एनर्जी सॉल्यूशंस अपना व्यवसाय जारी रखे हुए है।

स्वामित्व संबंधी चिंता "।

एन. सी. एल. टी. ने 6 दिसंबर 2018 के अपने फैसले में इस प्रस्ताव या लेखा परीक्षक के प्रमाण पत्र का कोई उल्लेख नहीं किया। इस प्रस्ताव को पहली बार लाने में प्रत्यर्थी का आचरण एन. सी. एल. ए. टी. इस दस्तावेज़ को पहले दबाने के लिए उनके खिलाफ एक प्रतिकूल निष्कर्ष का नेतृत्व करेगा, अगर यह अस्तित्व में था।

55. किसी भी मामले में, सी. ए. 2013 की धारा 13 उस प्रक्रिया का प्रावधान करती है जिसका पालन एम. ओ. ए. में संशोधन करने के लिए किया जाना चाहिए। मामलों में

जहाँ उद्देश्य खंड में संशोधन किया जाता है, वहाँ पंजीयक को कंपनी द्वारा दायर विशेष प्रस्ताव को पंजीकृत करने की आवश्यकता होती है। हालांकि, प्रतिवादी

कोई प्रमाण नहीं दिया है किः (i) 1 सितंबर 2014 का कथित प्रस्ताव एक विशेष प्रस्ताव था; (ii) यह पंजीयक के समक्ष दायर किया गया था; और (iii) कि पंजीयक ने अंततः इसे पंजीकृत किया था। इस प्रकार, सीए 2013 की धारा 13 (10) के संदर्भ में, एमओए में कथित संशोधन का कोई कानूनी प्रभाव नहीं होगा।

56. नतीजतन, प्रत्यर्थी का एम. ओ. ए. अभी भी बना हुआ है और अनुमान अपीलार्थी के पक्ष में बना रहेगा। इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रत्यर्थी ने स्वामित्व संबंधी चिंता को संभाल लिया और

अपीलार्थी को ऋण का पुनः भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। इसलिए, आई. बी. सी. की धारा 9 के तहत आवेदन बनाए रखने योग्य था।

एफ क्या धारा 9 के तहत आवेदन द्वारा वर्जित है

सीमा 57. प्रत्यर्थी ने आग्रह किया कि धारा 9 के तहत आवेदन सीमा द्वारा वर्जित है। प्रत्यर्थी ने तर्क दिया है कि अपीलार्थी द्वारा उल्लिखित चूक की तारीख 7 नवंबर 2013 है, जब सीएमआरएल द्वारा स्वामित्व चिंता को चेक जारी किया गया था। इस प्रकार, प्रस्तुतिकरण [2022] 2 एस. सी. आर.

यह है कि सीमा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 137 के तहत तीन साल की सीमा 7 नवंबर 2016 को समाप्त हो जाएगी, जबकि धारा 9 के तहत आवेदन केवल 1 नवंबर 2017 को दायर किया गया था।

58. बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज (पी) लिमिटेड बनाम इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ पराग गुप्ता एंड एसोसिएट्स 3 1 (बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज) ने कहा कि दायर किए गए आवेदनों पर सीमा अधिनियम लागू होगा।

आई. बी. सी. की धारा 7 और 9 के तहत। न्यायालय ने कहाः

" 42. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चूंकि सीमा अधिनियम संहिता की शुरुआत से ही संहिता की धारा 7 और 9 के तहत दायर आवेदनों पर लागू होता है, इसलिए सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 में यह प्रावधान है। आकर्षित किया। " इसलिए, मुकदमा करने का अधिकार तब प्राप्त होता है जब कोई चूक होती है। यदि आवेदन दाखिल करने की तारीख से तीन साल पहले चूक हुई है, तो आवेदन को सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के तहत प्रतिबंधित किया जाएगा, सिवाय उन मामलों के जहां मामले के तथ्यों में, सीमा अधिनियम की धारा 5 को इस तरह के आवेदन दाखिल करने में देरी को माफ करने के लिए लागू किया जा सकता है।

59. प्रत्यर्थी का निवेदन कि सीमा 7 नवंबर 2013 से शुरू होती है, को अस्वीकार करना होगा। धारा 9 के तहत अपने आवेदन में, अपीलार्थी ने इसका उल्लेख उस तारीख के रूप में किया है जिस दिन ऋण देय हुआ था। हालाँकि, जैसा कि बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज (उपरोक्त) में उल्लेख किया गया है, सीमा तब शुरू नहीं होती है जब ऋण देय हो जाता है, लेकिन केवल तभी जब चूक होती है। जैसा कि निर्णय में पहले उल्लेख किया गया है, आई. बी. सी. की धारा 3 (12) के तहत चूक को निगमित देनदार द्वारा बकाया होने पर ऋण का भुगतान न करने के रूप में परिभाषित किया गया है।

60. वर्तमान मामले में, सीएमआरएल ने 7 नवंबर 2013 को प्रोपराइटरी कंसर्न को रुपये 50,00,000 का चेक जारी किया। लेकिन उस समय,

इसे खरीद आदेश के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में जारी किया गया था अपीलार्थी। केवल 2 जनवरी 2014 को सीएमआरएल ने अपीलार्थी के साथ अपनी परियोजना को समाप्त कर दिया, और इसके बाद ही प्रोपराइटरी कंसर्न ने चेक को भुनाया। इसके बाद पत्राचार हुआ।

राशि के पुनः भुगतान के संबंध में जुलाई 2016 में अपीलार्थी और प्रोपराइटरी कंसर्न के बीच। इसके बाद 4 अगस्त 2016 को एक संयुक्त बैठक भी आयोजित की गई। इस समय तक, दोनों पक्ष पुनः भुगतान के संबंध में बातचीत कर रहे थे और बैठक के कार्यवृत्त से पता चलता है कि प्रोपराइटरी कंसर्न पुनः भुगतान करने के लिए तैयार था।

30 " सीमा अधिनियम "

31 (2019) 11 एस. सी. सी. 633 एम/एस. कन्सोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्टियम लिमिटेड। वी. मेसर्स हीरो एनर्जी सॉल्यूशंस पी. वी. टी. लिमिटेड। [डॉ. धनंजय चंद्रचूड, जे।]

यदि सी. एम. आर. एल. ने एक पत्र जारी किया जिसमें कहा गया है कि वे एक दावे को आगे नहीं बढ़ाएंगे भविष्य में या यदि अपीलार्थी ने राशि के लिए बैंक गारंटी प्रदान की है।

61. एक अंतिम पत्र अपीलार्थी द्वारा स्वामी को संबोधित किया गया था

27 फरवरी 2017 को चिंता, 4 मार्च 2017 को या उससे पहले भुगतान की मांग। प्रोपराइटरी कंसर्न ने 2 मार्च 2017 को इस पत्र का जवाब दिया, अंततः अपीलार्थी को पुनः भुगतान करने से इनकार कर दिया। नतीजतन, धारा 9 के तहत आवेदन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा।

जी निष्कर्ष

62. इसलिए, हम पहले तैयार किए गए तीन मुद्दों का जवाब देते हैं।

निम्नलिखित शर्तें हैं:

अपीलार्थी आई. बी. सी. के तहत एक परिचालन लेनदार है, क्योंकि

((i)

एक 'परिचालन ऋण' में माल या सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में एक अनुबंध से उत्पन्न ऋण शामिल होगा।

निगमित देनदार;

((ख)

माना जाएगा कि प्रत्यर्थी ने पदभार संभाल लिया है

अपने एम. ओ. ए. के अनुसार स्वामित्व संबंधी चिंता; और

(iii)

आई. बी. सी. की धारा 9 के तहत आवेदन प्रतिबंधित नहीं है

सीमा।

63. 12 दिसंबर 2019 के एन. सी. एल. ए. टी. के विवादित फैसले और आदेश को दरकिनार करके अपील की अनुमति दी जाती है। चूंकि सी. आई. आर. पी.

18 नवंबर 2020 के इस न्यायालय के आदेश के कारण प्रतिवादी का सम्मान जारी है, आगे किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं है।

64. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

अपील की अनुमति दी गई।

देविका गुजराल